

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ
फा. सं. 7/5/2026-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 22 अक्टूबर, 2026

अंतिम निष्कर्ष
मामला सं. एडी (एसएसआर) - 02/2026

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “ट्रेलरों के लिए एक्सल” के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की सनसेट समीक्षा जांच।

क मामले की पृष्ठभूमि

समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) पाटनरोधी नियमावली, 1995 (जिसे आगे “पाटनरोधी नियमावली” अथवा “पाटनरोधी नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. जबकि, चीन जन. गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “ट्रेलरों के लिए एक्सल” (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद”, “विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)” अथवा “संबद्ध वस्तुएँ” भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच अभिहित प्राधिकारी (जिसे आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) द्वारा अधिसूचना सं. 14/17/2015-डीजीएडी दिनांक 28 दिसंबर 2015 के माध्यम से शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने इस संबंध में दिनांक 30 सितंबर 2016 के अंतिम निष्कर्षों के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 29 नवंबर 2016 के माध्यम से शुल्क लगाया गया था।
2. और जबकि, अधिसूचना सं. 4/11/2020-डीजीटीआर दिनांक 15 सितंबर 2020 के माध्यम से एक परिहार-रोधी जांच शुरू की गई थी। दिनांक 14 सितंबर 2021 के अंतिम निष्कर्षों द्वारा प्राधिकारी ने इस संबंध में “पूर्णतः नॉकड डाउन/सेमी नॉकड डाउन अवस्था में ट्रेलरों के लिए एक्सल” के आयातों पर मौजूदा शुल्क का विस्तार किए जाने की सिफारिश की और अधिसूचना सं. 69/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 13 दिसंबर 2021 के माध्यम से उक्त शुल्क का इस प्रकार विस्तार किया गया, जिसकी अवधि विचाराधीन उत्पाद पर लागू शुल्क के साथ समाप्त होने वाली थी।

3. और जबकि, पहली सनसेट समीक्षा अधिसूचना सं. 7/7/2021-डीजीटीआर दिनांक 19 अप्रैल 2021 के माध्यम से शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने इस संबंध में दिनांक 27 अक्टूबर 2021 के अंतिम निष्कर्षों द्वारा शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की और केंद्र सरकार ने अधिसूचना सं. 04/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 जनवरी 2022 के माध्यम से शुल्क को आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखा। यह शुल्क 23 जनवरी 2027 तक लागू है।
4. वर्तमान में लागू शुल्क गुआंगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड द्वारा उत्पादित विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं पर 0.16 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम तथा किसी अन्य उत्पादक की विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं पर 0.31 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम है। यह टैरिफ मद 8716 90 10 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले “ट्रेलरों के लिए एक्सल” पर लागू होता है, जिसमें सेमी नॉकड डाउन/पूर्णतः नॉकड डाउन अवस्था में ट्रेलरों के लिए एक्सल, अर्थात् असंयोजित, अधूरी अथवा अपूर्ण अवस्था में एक्सल भी शामिल हैं।
5. और जबकि, मैसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे “आवेदक” अथवा “घरेलू उद्योग” भी कहा गया है) ने अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1ख) के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष विधिवत् समर्थित आवेदन दायर किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है तथा दूसरी सनसेट समीक्षा और शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया गया।
6. और जबकि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात प्राधिकारी ने इस संबंध में अधिसूचना सं. 7/5/2026-डीजीटीआर दिनांक 20 मार्च 2026 (मामला सं. एडी (एसएसआर)-02/2026), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया, के माध्यम से वर्तमान सनसेट समीक्षा शुरू की ताकि शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और यह जांच की जा सके कि इसकी समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं।
7. वर्तमान समीक्षा के दायरे में दिनांक 27 अक्टूबर 2021 के अंतिम निष्कर्षों के सभी पहलू शामिल हैं। नियम 23(3) के अनुसार नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा पर लागू होते हैं।

ख प्रक्रिया

8. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

8.1 जांच की शुरुआत

- i. नियम 6 के अनुसार, आवेदन की जांच करने तथा पाटन, क्षति, संभावना और कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए जाने पर, प्राधिकारी ने इस संबंध में दिनांक 20 मार्च 2026 की जांच शुरुआत अधिसूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई, और संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों से संबंधित सनसेट समीक्षा पाटनरोधी जांच शुरू की।

- ii. नियम 5(5) के अनुसार, जांच शुरू करने से पहले संबद्ध देश की सरकार को भारत में उसके दूतावास के माध्यम से वर्तमान पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने के बारे में अधिसूचित किया गया था।
- iii. नियम 6(2) के अनुसार, आवेदन में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षों के साथ जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति साझा करके हितबद्ध पक्षों को जांच शुरू होने की सूचना दी गई।

8.2 वर्तमान जांच अवधि और क्षति अवधि

9. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ वर्तमान जांच अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 (12 माह) है। क्षति अवधि में वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा वर्तमान जांच अवधि शामिल हैं।

8.3 आयात संबंधी आंकड़े

10. डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि और वर्तमान जांच अवधि के लिए विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेनदेन-वार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। प्राधिकारी ने इस संबंध में लेनदेनों की समुचित जांच करने के पश्चात आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना तथा अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

8.4 आवेदन के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

11. नियम 6(3) के अनुसार, आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से वहां की सरकार, विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा आवेदन की प्रति लिखित रूप से मांगने वाले अन्य हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराई गई। अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षों को सेतु पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध कराया गया।

8.5 संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता

12. प्राधिकारी ने इस संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

गुआंगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड
गुआंगझोउ हुआजिंग मशीन मैनुफैक्चर कंपनी लिमिटेड
ग्लोबल विन व्हीकल कंपनी लिमिटेड
शिजियाझुआंग आओतोंग मशीनरी मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
गुआंगझोउ टीएनडी एक्सल कंपनी लिमिटेड

13. इसके प्रत्युत्तर में, केवल गुआंगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे “गुआंगडोंग फूवा” अथवा “फूवा” भी कहा गया है) ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। संबद्ध देश के किसी अन्य उत्पादक अथवा निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है और न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। किसी उत्पादक अथवा निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए दावा दायर नहीं किया है।

8.6 आयातकों और प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

14. प्राधिकारी ने इस संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को आयातक तथा प्रयोक्ता प्रश्नावली भेजी:

हेवी इयूटी ट्रेलर पार्ट्स लॉयल
एचजे-एक्सल इंडिया मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
इंटेग्रिटी इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
एडीआर एक्सल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
रोडऑन एक्सल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
एच.डी. ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड
टाइगरिश ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड
टाटा इंटरनेशनल डीएलटी प्राइवेट लिमिटेड
ब्लैक डायमंड मोटर्स / ब्लैक डायमंड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
इंडियन ऑटो व्हील्स
सैट्रैक इंजीनियरिंग
टाटा इंटरनेशनल व्हीकल एप्लीकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
वंदना ट्रेलर्स
सीमलेस ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड
कमल कोच वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
ट्राटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

15. इसके प्रत्युत्तर में, केवल एच.डी. ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे “एचडीटीपीएल” भी कहा गया है) ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के किसी प्रयोक्ता अथवा प्रयोक्ता संघ ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है और न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

8.7 पंजीकृत हितबद्ध पक्ष

16. निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत कराने वाले हितबद्ध पक्षों की सूची 25 मई 2026 को जारी की गई और महानिदेशालय की वेबसाइट पर रखी गई। पंजीकृत हितबद्ध पक्ष यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, चीन जन. गण. का दूतावास, एच.डी. ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा गुआंगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड हैं। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षों को अपने अभ्यावेदनों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षों को परिचालित करने का निर्देश दिया गया।

8.8 समय-सीमा में विस्तार

17. हितबद्ध पक्षों से प्राप्त अनुरोधों पर प्राधिकारी ने इस संबंध में दिनांक 28 अप्रैल 2026 की सूचना के माध्यम से प्रश्नावली के उत्तर दायर करने की समय-सीमा 14 मई 2026 तक बढ़ा दी।

8.9 आर्थिक हित प्रश्नावली

18. प्राधिकारी ने इस संबंध में संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग तथा भारत के अन्य ज्ञात उत्पादकों को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की, ताकि सभी हितधारक वर्तमान जांच से संबंधित प्रासंगिक सूचना, जिसमें उनके परिचालनों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के संभावित प्रभाव की सूचना भी शामिल है, उपलब्ध करा सकें। इसके अतिरिक्त, दिनांक 24 मार्च 2026 के ई-मेल द्वारा प्राधिकारी ने संबंधित लाइन मंत्रालय होने के नाते सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (परिवहन प्रभाग) को संबोधित किया और मंत्रालय से संचार प्राप्त होने के 37 दिनों के भीतर, जहां तक प्रासंगिक हो, आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। संबंधित लाइन मंत्रालय से उत्तर मांगने का उद्देश्य विचाराधीन उत्पाद से जुड़े डाउनस्ट्रीम उद्योगों और अन्य हितधारकों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के संभावित प्रभाव का क्षेत्रीय आकलन प्राप्त करना था। ऐसे इनपुट का उद्देश्य उपाय को जारी रखने के आर्थिक हित संबंधी प्रभावों की संतुलित जांच करने में प्राधिकारी की सहायता करना था। आज तक उक्त मंत्रालय से आर्थिक हित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने इस संबंध में अपने आवेदन और अभ्यावेदनों में तथा एचडीटीपीएल ने अपने आयातक प्रश्नावली उत्तर में सूचना उपलब्ध कराई है। किसी प्रयोक्ता ने कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

8.10 मौखिक सुनवाई

19. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने इस संबंध में 24 सितंबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सुनवाई में हितबद्ध पक्षों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अभ्यावेदन और उसके बाद प्रत्युत्तर अभ्यावेदन दायर करने का अनुरोध किया गया। घरेलू उद्योग, गुआंगडोंग फूवा (उत्पादक/निर्यातक) तथा एचडीटीपीएल (आयातक) ने लिखित तथा प्रत्युत्तर अभ्यावेदन दायर किए हैं।

8.11 आगे की प्रक्रिया

20. आवेदक ने कोई उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति प्रस्तावित नहीं की थी, क्योंकि मूल जांच अथवा पहली सनसेट समीक्षा में भी कोई पीसीएन पद्धति नहीं अपनाई गई थी। हितबद्ध पक्षों को जांच शुरू होने के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उक्त अवधि में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। तथापि, एचडीटीपीएल द्वारा बाद में अपने अभ्यावेदनों में उत्पाद के दायरे के संबंध में उठाए गए तर्कों की इन अंतिम निष्कर्षों में जांच की गई है।
21. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III को ध्यान में रखते हुए भारत में विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन की अनुकूलतम लागत तथा उन्हें बनाने और बेचने की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत ("एनआईपी") निर्धारित की गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं।
22. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, जहां तक वे साक्ष्य से समर्थित हैं और वर्तमान समीक्षा के लिए प्रासंगिक माने गए हैं, प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम निष्कर्षों में समुचित रूप से विचार किया गया है।
23. हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने इस संबंध में जहां उचित था वहां गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया तथा अन्य हितबद्ध पक्षों को प्रकट नहीं किया गया। जहां संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
24. जहां किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इनकार किया है अथवा अन्यथा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने इस संबंध में ऐसे पक्ष को असहयोगी माना है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने विचार/टिप्पणियां दर्ज की हैं।
25. प्राधिकारी ने इस संबंध में जांच के दौरान, जहां तक संभव था, हितबद्ध पक्षों द्वारा उपलब्ध कराई गई उस सूचना की शुद्धता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया है जो इन अंतिम निष्कर्षों का आधार बनती है, तथा हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का उस सीमा तक सत्यापन किया है जिस सीमा तक उसे प्रासंगिक, व्यवहार्य और आवश्यक माना गया।
26. एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 16 के साथ पठित नियम 23 के अनुसार, प्राधिकरण ने 14 अक्टूबर 2026 की प्रकटीकरण विवरणी जारी की।

27. इन अंतिम निष्कर्षों में '***' हितबद्ध पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई और पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
28. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 86.76 है, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के प्रावधानों के अंतर्गत आयातित वस्तुओं के मूल्य के रूपांतरण के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित और वर्तमान जांच अवधि के दौरान लागू विनिमय दरों का औसत है। इन अंतिम निष्कर्षों में सर्वत्र यही दर लागू की गई है। स्रोत: <https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate>

ग विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

29. वर्तमान सनसेट समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद, जैसा कि दिनांक 20 मार्च 2026 की जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित किया गया है, निम्नानुसार है:

“वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ‘ट्रेलरों के लिए एक्सल’ है। विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण और बिक्री विभिन्न प्रकारों में की जाती है। तथापि, इन सभी प्रकारों की मूल उत्पाद विशेषताएं और अंतिम उपयोग समान रहते हैं तथा ऐसे सभी प्रकार के ट्रेलर एक्सल को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे में शामिल किया गया है। ऐसे सभी प्रकार तुलनीय मूल विशेषताओं तथा समान कार्यों/उपयोगों वाले एक समरूप विचाराधीन उत्पाद का गठन करते हैं।”

प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद एक वाहन पुर्जा और सहायक सामग्री है, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 87 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है तथा आगे सीमा शुल्क उप-शीर्ष संख्या 87169010 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, चूंकि यह उप-शीर्ष एक समर्पित वर्गीकरण नहीं है, इसलिए सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इस जांच के लिए निर्धारित उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

विचाराधीन उत्पाद के दायरे और विवरण पर आपत्ति के संबंध में प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि जांच शुरुआत अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) को स्पष्ट रूप से ‘ट्रेलरों के लिए एक्सल’ के रूप में परिभाषित किया गया था तथा ट्रेलरों के अलावा अन्य वाहनों के लिए एक्सल विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे से बाहर हैं और आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अन्य सभी अभ्यावेदनों की भी जांच की गई है।”

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

30. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

- क उत्पाद के दायरे की स्पष्टता: जांच शुरुआत अधिसूचना में सभी प्रकार के ट्रेलर एक्सल शामिल हैं, जिनमें ड्राइव (लाइव) एक्सल भी शामिल हो सकते हैं, जबकि आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) को डेड (डमी) एक्सल तक सीमित रखा गया है। अधिसूचना अस्पष्ट है और विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे से अधिक व्यापक है।
- ख सीमलेस एक्सल: सीमलेस (एकल) ट्यूब वाले एक्सल विनिर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल, मजबूती, भार-वहन क्षमता और टिकाऊपन की दृष्टि से वेल्डेड ट्यूब वाले एक्सल से भिन्न हैं। सीमलेस एक्सल का भारत में विनिर्माण नहीं किया जाता और एचडीटीपीएल द्वारा ट्रेलर विनिर्माताओं की विशिष्ट मांग पर इनका आयात किया जाता है।
- ग सीकेडी/एसकेडी आयात: एचडीटीपीएल ने या तो विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) अथवा केवल ट्यूब (बीम) का आयात किया है तथा भारत में उसके विनिर्माण में 70% से अधिक मूल्य संवर्धन होता है। सीकेडी/एसकेडी आयातों के संबंध में निष्कर्ष उस पर लागू नहीं होते।
- घ गुआंगडोंग फूवा ने उत्पाद के दायरे के संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं किया है।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

31. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:
 - क उत्पाद के दायरे की स्पष्टता: विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) “ट्रेलरों के लिए एक्सल” है, जो सेमी-ट्रेलरों और अन्य भारी-भरकम ट्रेलरों में प्रयुक्त एक गैर-चालित (डेड) एक्सल है। इसका दायरा मूल जांच, परिहार-रोधी जांच और पहली सनसेट समीक्षा के समान है तथा ऐसा कोई नया तथ्य नहीं है जो किसी परिवर्तन को उचित ठहराता हो।
 - ख सीमलेस एक्सल: एचडीटीपीएल के अपने प्रश्नावली उत्तर में उसके द्वारा आयातित वस्तुओं को उसी टैरिफ मद के प्रावधानों के अंतर्गत ट्रेलरों के लिए गैर-चालित एक्सल बताया गया है। बीम का सीमलेस अथवा वेल्डेड होना विनिर्माण मार्ग का अंतर है; आवश्यक विशेषताएं, कार्य और अंतिम उपयोग समान हैं। सनसेट समीक्षा किसी पहले से निर्धारित दायरे को पुनः खोलने का मंच नहीं है और कोई अपवर्जन शुल्क से बचने के लिए एक नया मार्ग खोल देगा।
 - ग समान वस्तु: घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं और संबद्ध देश से आयातित वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक-दूसरे का स्थान ले सकती हैं और समान वस्तुएं हैं। घरेलू उद्योग विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के सभी आकारों का उत्पादन करता है।
 - घ वर्गीकरण: विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं को टैरिफ मद 8716 90 10 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जो कोई समर्पित वर्गीकरण नहीं है और केवल संकेतात्मक है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा की गई जांच

32. जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है:

“वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ‘ट्रेलरों के लिए एक्सल’ है। विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण और बिक्री विभिन्न प्रकारों में की जाती है। तथापि, इन सभी प्रकारों की मूल उत्पाद विशेषताएं और अंतिम उपयोग समान रहते हैं तथा ऐसे सभी प्रकार के ट्रेलर एक्सल को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे में शामिल किया गया है। ऐसे सभी प्रकार तुलनीय मूल विशेषताओं और समान कार्यों/उपयोगों वाले एक समरूप विचाराधीन उत्पाद का गठन करते हैं।”

33. वर्तमान जांच एक सनसेट समीक्षा होने के कारण विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का दायरा समीक्षाधीन उपाय के दायरे के समान है, अर्थात् मूल जांच में निर्धारित और पहली सनसेट समीक्षा में बनाए रखा गया दायरा, जिसमें सीकेडी/एसकेडी अवस्था में ट्रेलरों के लिए एक्सल भी शामिल हैं, जिन पर परिहार-रोधी जांच के परिणामस्वरूप उपाय का विस्तार किया गया था। प्राधिकारी ने इस संबंध में न तो उस दायरे को विस्तृत किया है और न ही सीमित किया है।
34. यह तर्क कि जांच शुरुआत अधिसूचना में ड्राइव एक्सल शामिल हैं, सही नहीं है। विचाराधीन उत्पाद ट्रेलरों में प्रयुक्त एक्सल हैं, जिन्हें ट्रक अथवा प्राइम मूवर द्वारा खींचा जाता है और जिनका अपना कोई ड्राइविंग तंत्र नहीं होता। तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ट्रेलर एक्सल गैर-चालित एक्सल होते हैं और ट्रकों तथा प्राइम मूवर में प्रयुक्त ड्राइव एक्सल से भिन्न होते हैं, जो इंजन की शक्ति पहियों तक पहुंचाते हैं। जांच शुरुआत अधिसूचना में प्रयुक्त अभिव्यक्ति “ऐसे सभी प्रकार के ट्रेलर एक्सल” केवल ट्रेलरों में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के एक्सल को संदर्भित करती है और उत्पाद के दायरे को ट्रकों अथवा प्राइम मूवर के ड्राइव एक्सल तक विस्तारित नहीं करती। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच शुरुआत अधिसूचना में शामिल उत्पाद आवेदन में वर्णित उत्पाद के अनुरूप है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे में कोई असंगति नहीं है।
35. यह तर्क कि सीमलेस अथवा एकल-खंड बीम से बने एक्सल एक अलग उत्पाद का गठन करते हैं, पहली सनसेट समीक्षा और परिहार-रोधी जांच में जांचा गया था। प्राधिकारी ने इस संबंध में पाया था कि एकल-खंड बीम से बने ट्रेलर एक्सल और वेल्डेड बीम से बने ट्रेलर एक्सल के उपयोग समान हैं तथा वे एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं और जब अंतिम उपयोग समान हों तो प्रक्रिया अथवा प्रौद्योगिकी में अंतर उत्पादों को अलग मानने का आधार नहीं है। एचडीटीपीएल ने वर्तमान जांच के अभिलेख पर कोई ऐसा नया तथ्य नहीं रखा है जो उक्त निष्कर्ष से अलग रुख अपनाने को उचित ठहराए। एचडीटीपीएल स्वयं आयातित वस्तुओं को ट्रेलरों के लिए गैर-चालित एक्सल बताता है, आयातित एक्सल तथा भारत में अपने द्वारा विनिर्मित एक्सल समान वर्ग के ग्राहकों को बेचता है और बताता है कि वह भारत में एकल-ट्यूब एक्सल का विनिर्माण करता रहा है। किसी हितबद्ध पक्ष ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर पीसीएन अथवा किसी अपवर्जन का प्रस्ताव नहीं किया और न ही दोनों प्रकारों के बीच लागत अथवा कीमत के किसी अंतर को परिमाणित किया है। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी को ऐसे एक्सल को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे से बाहर रखने का कोई आधार नहीं मिलता है।

36. प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि उत्पाद के दायरे में विनिर्दिष्ट अनुसार विचाराधीन उत्पाद में पूर्ण अवस्था के साथ-साथ असंयोजित, अधूरी अथवा अपूर्ण अवस्था में ट्रेलरों के लिए एक्सल शामिल हैं। तथापि, किसी अलग घटक, जैसे एक्सल ट्यूब अथवा बीम, का आयात स्वतः यह स्थापित नहीं करता कि वह विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आता है या नहीं। यह आयातित वस्तुओं की प्रकृति और लागू सीमा शुल्क अधिसूचना की शर्तों पर निर्भर करता है। तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एचडीटीपीएल द्वारा आयातित कोई विशेष खेप पाटनरोधी शुल्क के अधीन आती है या नहीं, इसका आकलन सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा किया जाना है और वर्तमान सनसेट समीक्षा में किसी खेप-विशिष्ट निर्धारण की आवश्यकता नहीं है।
37. प्राधिकारी वर्तमान जांच के अभिलेख पर उपलब्ध सूचना से नोट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। दोनों तकनीकी विनिर्देशों, कार्यों और अंतिम उपयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं को संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु के रूप में माने जाने का प्रस्ताव है।
38. विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 87 के प्रावधानों के अंतर्गत टैरिफ मद 8716 90 10 में वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

घ घरेलू उद्योग का दायरा और पात्रता

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

39. घरेलू उद्योग के दायरे और पात्रता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:
- क **विदेशी स्वामित्व:** आवेदक सिंगापुर की एक कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और अंततः जर्मनी के एसएएफ-हॉलैंड समूह की कंपनी है। प्रभावी रूप से यह एक विदेशी खिलाड़ी है और नियम 2(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत इसे घरेलू उद्योग से बाहर रखा जाना चाहिए।
- ख **निर्यातक के साथ संबंध:** चीन जन. गण. में आवेदक की एक सह-सहायक कंपनी, किंगदाओ वाईटीई स्पेशल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड, विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का उत्पादन करती है और भारत को इसका निर्यात करती रही है। आवेदक का एक निदेशक मूल समूह की कार्यकारी समिति का सदस्य भी है। निर्यातक से संबंधित होने के कारण, व्हील लोडर्स के निष्कर्षों में दिए गए निर्णय के अनुसार आवेदक पात्र नहीं है। इसे वर्तमान समीक्षा और पूर्ववर्ती जांचों में भी अपात्र माना जाना चाहिए।

- ग **आवेदक द्वारा आयात और व्यापार:** आवेदक ने अपनी समूह कंपनियों के साथ विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) में किए गए व्यापार का प्रकटीकरण नहीं किया है। उसकी वार्षिक रिपोर्टों में पर्याप्त विदेशी मुद्रा बहिर्वाह और व्यापारिक राजस्व दर्शाया गया है। इसका विवरण मंगाया जाना चाहिए और यदि चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का आयात पाया जाता है तो आवेदक को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए।
- घ **अनुमानों की विश्वसनीयता:** भारतीय उत्पादन और मांग के अनुमान अप्रमाणित धारणाओं पर आधारित हैं और कुछ उत्पादकों, प्रतिस्थापन बाजार तथा निर्यातों की अनदेखी करते हैं। एचडीटीपीएल स्वयं ट्रेलर एक्सल का विनिर्माता है।
- ङ **प्रभुत्वशाली स्थिति:** आवेदक की घरेलू उत्पादन में प्रभुत्वशाली हिस्सेदारी है और इस स्थिति के दुरुपयोग की आशंका है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

40. घरेलू उद्योग के दायरे और पात्रता के संबंध में घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:
- क **विदेशी स्वामित्व:** विदेशी स्वामित्व अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय समूह की सदस्यता अपने-आप किसी उत्पादक को घरेलू उद्योग से बाहर नहीं करती। नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को घरेलू उत्पादन के संदर्भ में परिभाषित करता है और किसी उत्पादक को बाहर रखना विवेकाधीन है।
- ख **निर्यातक के साथ संबंध:** नियम 2(ख) के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पादकों को केवल तब संबंधित माना जाता है जब नियंत्रण मौजूद हो और वह संबंध उत्पादक को असंबंधित उत्पादकों से अलग प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता हो। एचडीटीपीएल ने यह नहीं दिखाया है कि आवेदक ने कथित संबंधित इकाई से विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का आयात किया था अथवा संबंध से कोई लेनदेन प्रभावित हुआ था।
- ग **आवेदक द्वारा आयात और व्यापार:** आवेदक ने संबद्ध देश से विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वह विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित नहीं है। इस आशय का प्रमाण-पत्र दायर किया गया है।
- घ **पात्रता:** भारत में विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के छह ज्ञात उत्पादक हैं। आवेदक का भारतीय उत्पादन में एक प्रमुख अनुपात है और क्रॉस लिमिटेड ने आवेदन का समर्थन किया है। सभी पूर्ववर्ती जांचों में आवेदक घरेलू उद्योग था।
- ङ **प्रभुत्वशाली स्थिति:** प्रभुत्व प्रतिस्पर्धा कानून की अवधारणा है। पाटनरोधी नियमावली किसी उत्पादक को केवल इसलिए अयोग्य नहीं ठहराती कि उसकी घरेलू उत्पादन में पर्याप्त हिस्सेदारी है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा की गई जांच

41. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ से समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबंधित किसी गतिविधि में लगे समस्त घरेलू उत्पादक अथवा वे उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात बनाता है, सिवाय उस स्थिति के जहां ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा स्वयं उसके आयातक हों; ऐसी स्थिति में ‘घरेलू उद्योग’ शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

42. आवेदन यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। वर्तमान जांच के अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में समान वस्तु के पांच अन्य उत्पादक हैं, अर्थात् क्रॉस लिमिटेड, हेंड्रिक्सन इंडिया, रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड, बीपीडब्ल्यू ट्रेलर सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा एडीआर एक्सल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वर्तमान जांच अवधि के दौरान समान वस्तु के भारतीय उत्पादन में आवेदक की हिस्सेदारी ***% है और आवेदन का समर्थन करने वाली क्रॉस लिमिटेड के साथ मिलकर यह ***% है। इस आकलन में रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड के उत्पादन को ध्यान में रखा गया है।
43. कथित संबंध के संबंध में यह विवादित नहीं है कि आवेदक एक अंतरराष्ट्रीय समूह का हिस्सा है। तथापि, पाटनरोधी नियमावली घरेलू उद्योग को उत्पादक के स्वामित्व के आधार पर नहीं बल्कि भारत में समान वस्तु के विनिर्माण के संदर्भ में परिभाषित करती है। नियम 2(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत अपवर्जन उस स्थिति में लागू होता है जब उत्पादक उस नियम के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट तरीके से कथित पाटित वस्तु के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित हो या वह स्वयं उसका आयातक हो।
44. प्राधिकारी ने इस संबंध में क्षति अवधि तथा उसके बाद की अवधि के लिए डीजी सिस्टम्स के लेनदेन-वार आंकड़ों की जांच की है। इस संबंध में यह नोट किया गया है कि आवेदक ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। किंगदाओ वाईटीई स्पेशल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड अथवा आवेदक से संबंधित किसी अन्य इकाई से भी भारत में विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ है और एचडीटीपीएल ने ऐसे निर्यातों का कोई साक्ष्य वर्तमान जांच के अभिलेख पर नहीं रखा है। आवेदक द्वारा टैरिफ मद 8716 90 10 के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए आयात ऐसे इनपुट और घटकों के हैं जिनका उपयोग वह अपने ट्रेलर एक्सल के विनिर्माण में करता है और वे विचाराधीन उत्पाद नहीं हैं। एचडीटीपीएल द्वारा उद्धृत विदेशी मुद्रा बहिर्वाह और व्यापारिक राजस्व संपूर्ण कंपनी के समग्र व्यावसायिक परिचालनों से संबंधित हैं। तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विदेशी मुद्रा बहिर्वाह और व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित आरोप पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक को घरेलू उद्योग से बाहर रखने का कोई आधार प्रदान नहीं करते।
45. एचडीटीपीएल द्वारा उद्धृत व्हील लोडर्स मामले में संबंधित भारतीय इकाइयां उन उत्पादकों से संबंधित थीं जो विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात कर रहे थे। यहां ऐसी स्थिति नहीं है। पूर्ववर्ती जांचों में आवेदक को अपात्र ठहराए जाने का अनुरोध वर्तमान समीक्षा के दायरे से बाहर है।

46. प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि कुल घरेलू उत्पादन में किसी उत्पादक की हिस्सेदारी पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत उसकी पात्रता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक है और उसे बाहर रखने का आधार नहीं है। एचडीटीपीएल द्वारा उठाया गया बाजार प्रभुत्व का मुद्दा पाटनरोधी नियमावली के दायरे से बाहर है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने इस संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार आयातों के आधार पर मांग निर्धारित की है। एचडीटीपीएल ने कोई वैकल्पिक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं।
47. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन नियम 23(1ख) की अपेक्षा के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है।

ड गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

48. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीयता के संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं किया गया है।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

49. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं किया गया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा की गई जांच

50. प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि न तो घरेलू उद्योग और न ही किसी अन्य हितबद्ध पक्ष ने गोपनीयता के संबंध में कोई मुद्दा उठाया है। तथापि, प्राधिकारी ने इस संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार पक्षों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों की जांच की है और जहां उचित पाया गया वहां ऐसे दावों को स्वीकार किया है। पक्षों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय रूपांतर पाटनरोधी नियमावली के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराए गए हैं। तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे पर आगे किसी जांच की आवश्यकता नहीं है।

च विविध मुद्दे

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

51. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित विविध अभ्यावेदन किए गए हैं:
- क **साक्ष्य की पर्याप्तता और जांच की समाप्ति:** आवेदन में नियम 5(3) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं तथा यह धारणाओं और ऐतिहासिक निष्कर्षों पर आधारित है। सकारात्मक साक्ष्य के माध्यम से संभावना स्थापित करने का दायित्व घरेलू उद्योग पर है। नियम 14(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए।

- ख **वर्तमान जांच अवधि:** वर्तमान जांच अवधि वित्त वर्ष के अनुरूप नहीं है और इसका चयन आयातों में वृद्धि प्रदर्शित करने के लिए किया गया है, जबकि 2024-25 में आयातों में गिरावट आई थी। यह अवधियों की अनुचित तुलना है।
- ग **आयात आंकड़ों का स्रोत:** आवेदन एक निजी स्रोत से प्राप्त आयात आंकड़ों पर निर्भर करता है, जो विश्वसनीय नहीं हैं। प्राधिकारी को अपनी प्रचालन पद्धति पाटनरोधी नियमावली के अनुसार आधिकारिक आयात आंकड़े मंगाने और उन पर भरोसा करने चाहिए।
- घ **वर्तमान जांच अवधि के बाद के आंकड़े:** सनसेट समीक्षा भावी प्रकृति की होती है और पाटनरोधी नियमावली वर्तमान जांच अवधि के बाद की सूचना को मान्यता देती है। वर्तमान जांच अवधि के बाद व्यापार प्रवाह, मालभाड़ा दरों और विनिमय दरों में परिवर्तन हुआ है। प्राधिकारी को वर्तमान जांच अवधि के बाद की सूचना मंगानी और उसकी जांच करनी चाहिए।
- ङ **परिहार-रोधी इतिहास और रिट कार्यवाही:** पूर्ववर्ती परिहार-रोधी कार्यवाही को गुआंगडोंग फूवा से संबद्ध नहीं किया जा सकता। एचडीटीपीएल का कहना है कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप दिनांक 27 जून 2018 के मूल आदेश द्वारा हटा दिए गए थे और उसके बाद उसकी रिट याचिका वापस ले ली गई क्योंकि उसमें कुछ शेष नहीं रहा था।
- च **प्रतिषेध (एस्टॉपल):** आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट बाजार वृद्धि में मंदी का कारण कमजोर औद्योगिक गतिविधि और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के स्थगन को बताती है। आवेदक को अपनी आय अथवा लाभ में किसी कमी को आयातों के कारण बताने से प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए।
- छ **तंत्र का दुरुपयोग, लागत और शुल्क की वसूली:** आवेदक ने शुल्क से वित्तीय लाभ प्राप्त किया है। यदि उसे घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए अपात्र पाया जाता है तो पूर्ववर्ती उपाय प्रारंभ से ही शून्य हैं और एचडीटीपीएल द्वारा भुगतान किया गया शुल्क उदाहरणात्मक लागत सहित आवेदक से वसूल किया जाना चाहिए। मामला प्रतिस्पर्धा प्राधिकारियों को भेजा जाना चाहिए।
- ज **एचडीटीपीएल के लिए छूट:** शानडोंग दारोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड और शिजियाझुआंग आओतोंग मशीनरी मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के अधिकृत वितरक के रूप में एचडीटीपीएल को इन उत्पादकों से पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बिना विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का आयात करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

52. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अभ्यावेदन किए गए हैं:

- क **साक्ष्य की पर्याप्तता और जांच की समाप्ति:** वर्तमान कार्यवाही अधिनियम की धारा 9क(5) और नियम 23(1ख) के प्रावधानों के अंतर्गत सनसेट समीक्षा है। नियम 23(3) किसी समीक्षा पर नियम 5 और 14 लागू नहीं करता है। नियम 14 मूल जांच की समाप्ति का प्रावधान करता है और इसे समीक्षा में लागू नहीं किया जा सकता, तथा इस चरण पर जांच

शुरुआत की कसौटी को पुनः लागू नहीं किया जाना चाहिए। इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड बनाम अभिहित प्राधिकारी [2007 (214) ई.एल.टी. 3 (दिल्ली)] पर भरोसा किया गया है।

- ख **वर्तमान जांच अवधि:** वर्तमान जांच अवधि पूर्ण बारह माह की अवधि है, जो पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य अवधि है और इसका वित्त वर्ष के अनुरूप होना आवश्यक नहीं है। एचडीटीपीएल इसकी तुलना 2024-25 से करता है, जिसके साथ यह छह माह तक आच्छादित होती है।
- ग **आयात आंकड़ों का स्रोत:** अनुरोध किए जाने के बावजूद आवेदक को लेनदेन-वार आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए। आवेदक ने अपने पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना पर भरोसा किया, जिसकी प्राधिकारी की पद्धति अनुमति देती है। प्राधिकारी अपने निर्धारण के लिए आधिकारिक आंकड़े प्राप्त करता है।
- घ **वर्तमान जांच अवधि के बाद के आंकड़े:** जहां महत्वपूर्ण हों, वहां वर्तमान जांच अवधि के बाद की सूचना पर विचार किया जा सकता है, किंतु पाटनरोधी नियमावली इसे निर्धारण की पूर्व-शर्त नहीं बनाती। अभिलेख में पहले से वर्तमान सूचना उपलब्ध है।
- ङ **परिहार-रोधी इतिहास और रिट कार्यवाही:** रिट याचिका की वापसी पर गुण-दोष के आधार पर निष्कर्ष के रूप में भरोसा नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य परिहार-रोधी जांच और दिनांक 14 सितंबर 2021 के अंतिम निष्कर्ष हैं, जो शुल्क के बावजूद भारतीय बाजार तक पहुंच बनाए रखने के वाणिज्यिक प्रोत्साहन को दर्शाते हैं।
- च **प्रतिषेध (एस्टॉपल):** सामान्य बाजार स्थितियों पर वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया कथन पाटन के संबंध में कोई स्वीकारोक्ति नहीं है और एस्टॉपल वैधानिक जांच को नहीं रोक सकता। अन्य कारकों का अस्तित्व केवल गैर-आरोपण विश्लेषण की मांग करता है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा की गई जांच

साक्ष्य की पर्याप्तता और जांच की समाप्ति

53. वर्तमान जांच अधिनियम की धारा 9क(5) और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1ख) के प्रावधानों के अंतर्गत एक सनसेट समीक्षा है, जिसे घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विधिवत् समर्थित अनुरोध पर शुरू किया गया है। नियम 23(3), नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 को आवश्यक परिवर्तनों सहित समीक्षा पर लागू करता है। नियम 5, जो मूल जांच की शुरुआत को नियंत्रित करता है, तथा नियम 14, जो उसकी समाप्ति का प्रावधान करता है, इस प्रकार लागू किए गए प्रावधानों में शामिल नहीं हैं। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, नियम 14(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत जांच समाप्त करने का अनुरोध भ्रांतिपूर्ण है। समीक्षा में निर्धारण जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य पर आधारित होगा, जिसका इस विवरण में प्रकटीकरण किया गया है।

जांच की निर्धारित अवधि

54. वर्तमान जांच अवधि लगातार बारह माह की अवधि है और जांच शुरू होने की तारीख को यह छह माह से कम पुरानी थी। इसका वित्त वर्ष के अनुरूप होना आवश्यक नहीं है और प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति है कि तीन पूर्ववर्ती वित्त वर्षों तथा वर्तमान जांच अवधि के दौरान प्रवृत्तियों की जांच की जाए। 2024-25 और वर्तमान जांच अवधि के बीच आंशिक आच्छादन इस पद्धति में अंतर्निहित है और इसे ध्यान में रखा गया है।

आयात आंकड़ों का स्रोत

55. आवेदक ने अपने आवेदन में यह प्रकट किया था कि उसने द्वितीयक स्रोत पर भरोसा किया है और आधिकारिक आंकड़ों के लिए अपने अनुरोध की एक प्रति दायर की है। प्राधिकारी ने इस संबंध में उन आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया है। उसने डीजी सिस्टम्स से लेनदेन-वार आंकड़े मंगाए हैं और अपने विश्लेषण के लिए उन्हीं पर भरोसा किया है। आधिकारिक आंकड़े प्रत्येक अवधि में आवेदन में रिपोर्ट की गई मात्रा से अधिक आयात मात्रा दर्शाते हैं।

वर्तमान जांच अवधि के बाद के आंकड़े

56. प्राधिकारी सहमत है कि वर्तमान जांच अवधि के बाद के घटनाक्रम सनसेट समीक्षा में प्रासंगिक हो सकते हैं और उसने वर्तमान जांच अवधि के बाद की अवधि के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों की जांच की है। संबद्ध देश से विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के आयात वर्तमान जांच अवधि के बाद भी तुलनीय मात्रा और कीमतों पर जारी रहे हैं। गुआंगडोंग फूवा ने मालभाड़ा दरों, विनिमय दरों और व्यापार प्रवाह में परिवर्तनों का सामान्य रूप से उल्लेख किया है, किंतु उसने अपनी क्षमता, उत्पादन, निर्यात मात्रा अथवा कीमतों के संबंध में वर्तमान जांच अवधि के बाद की कोई सूचना वर्तमान जांच के अभिलेख पर नहीं रखी है और न ही यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य दिया है कि उद्धृत घटनाक्रमों ने पाटन अथवा क्षति की संभावना को किस प्रकार बदल दिया है।

परिहार-रोधी इतिहास और रिट कार्यवाही

57. प्राधिकारी एचडीटीपीएल द्वारा बताए गए सीमा शुल्क कार्यवाही के कालक्रम को नोट करता है और यह भी कि घरेलू उद्योग रिट याचिका की वापसी पर गुण-दोष के आधार पर निष्कर्ष के रूप में भरोसा नहीं करता। वे कार्यवाहियां इस विवरण में प्रकट किए गए किसी तथ्य का आधार नहीं हैं। परिहार-रोधी जांच के अंतिम निष्कर्ष और उसके परिणामस्वरूप शुल्क का विस्तार अपने वर्तमान जांच के अभिलेख पर स्वतंत्र रूप से कायम हैं और वर्तमान समीक्षा का विषय नहीं हैं। प्राधिकारी उन निष्कर्षों को व्यक्तिगत रूप से गुआंगडोंग फूवा से संबद्ध नहीं करता। पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना की वर्तमान अभिलेख के आधार पर इस विवरण के खंड III में जांच की गई है।

प्रतिषेध (एस्टॉपल)

58. आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया कथन बाजार वृद्धि में सामान्य मंदी से संबंधित है। यह पाटन अथवा उसके प्रभावों के संबंध में कोई स्वीकारोक्ति नहीं है और प्राधिकारी द्वारा अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर की जाने वाली वैधानिक जांच के विरुद्ध एस्टॉपल का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मांग में बदलाव को गैर-आरोपण विश्लेषण में ध्यान में रखा गया है।

तंत्र का दुरुपयोग, लागत और शुल्क की वसूली

59. अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी के कार्य जांच करना और केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश देना हैं। पाटनरोधी नियमावली प्राधिकारी को लागत अथवा क्षतिपूर्ति प्रदान करने, केंद्र सरकार की अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान किए गए शुल्क की वसूली अथवा वापसी का निर्देश देने, अथवा पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को शून्य घोषित करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करती। पूर्ववर्ती जांचों के निष्कर्ष अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं और वर्तमान समीक्षा में पुनः जांच के लिए खुले नहीं हैं। किसी भी स्थिति में, ये अनुरोध इस आधार पर किए गए हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए अपात्र है, जबकि ऊपर नोट किए अनुसार स्थिति ऐसी नहीं है।

एचडीटीपीएल के लिए छूट

60. पाटनरोधी शुल्क वस्तुओं के उत्पादक और निर्यातक के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है, आयातक के संदर्भ में नहीं। व्यक्तिगत शुल्क दर उस उत्पादक अथवा निर्यातक के लिए निर्धारित की जाती है जो जांच में भाग लेता है और पूर्ण तथा सत्यापन योग्य सूचना उपलब्ध कराता है। एचडीटीपीएल द्वारा नामित दोनों उत्पादकों में से किसी ने भी वर्तमान समीक्षा में प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। पाटनरोधी नियमावली आयातक-विशिष्ट छूट की परिकल्पना नहीं करती और अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता।

छ सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

61. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:
- क **गैर-बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार:** विश्व व्यापार संगठन में चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(ii) समाप्त हो चुकी है और भारत के पास अब गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति द्वारा सामान्य मूल्य की गणना करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
 - ख **पाटन मार्जिन:** घरेलू उद्योग द्वारा आरोपित पाटन मार्जिन केवल एक दावा है। पूर्ववर्ती कार्यवाहियों के मार्जिन उन्हीं अवधियों से संबंधित हैं। पाटन मार्जिन सत्यापित, निर्यातक-विशिष्ट सूचना पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
 - ग **एचडीटीपीएल के लेनदेन:** वर्तमान जांच अवधि के दौरान कोई पाटन नहीं हुआ है। एचडीटीपीएल के एक आपूर्तिकर्ता के घरेलू बिक्री बीजकों की दूसरे आपूर्तिकर्ता के निर्यात बीजकों से तुलना करने पर पाटन मार्जिन ऋणात्मक है। आयातों में वृद्धि नहीं होने के कारण भी कोई पाटन नहीं है।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

62. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

- क **गैर-बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार:** चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। धारा 15(क)(ii) की समाप्ति से बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ और किसी चीनी उत्पादक ने यह नहीं दर्शाया है कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना चाहिए।
- ख **सामान्य मूल्य का आधार:** आवेदक द्वारा दक्षिण अफ्रीका को किए गए निर्यातों के पहुंच मूल्य के आधार पर दक्षिण अफ्रीका एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश है। वैकल्पिक रूप से, सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में उत्पादन लागत में उचित लाभ जोड़कर किया जाना चाहिए।
- ग **पाटन मार्जिन:** पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है तथा मूल जांच, पहली सनसेट समीक्षा और वर्तमान समीक्षा में ऐसा ही बना रहा है।
- घ **एचडीटीपीएल के लेनदेन:** एचडीटीपीएल दो अलग-अलग उत्पादकों और अलग-अलग अवधियों के बीजकों की तुलना करता है, जिसमें सामान्य मूल्य के बीजक वर्तमान जांच अवधि के बाद की अवधि के हैं। किसी एक आयातक के चुनिंदा लेनदेन संबंध देश से पाटन की अनुपस्थिति स्थापित नहीं कर सकते।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा की गई जांच

छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

63. विश्व व्यापार संगठन में चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

“गैट 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी समझौता (“पाटनरोधी समझौता”) तथा एससीएम समझौता, विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य में चीनी मूल के आयातों से संबंधित कार्यवाहियों में निम्नलिखित के अनुरूप लागू होंगे:

(क) गैट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत कीमत की तुलनीयता निर्धारित करने में, आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य जांचाधीन उद्योग के लिए या तो चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा अथवा निम्नलिखित नियमों के आधार पर ऐसी पद्धति का उपयोग करेगा जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित न हो:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य कीमत की तुलनीयता निर्धारित करते समय जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा;

(ii) यदि जांचाधीन उत्पादक यह स्पष्ट रूप से नहीं दर्शा सकते कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित न हो।

...

(घ) जब चीन आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य के राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों के अंतर्गत यह स्थापित कर देता है कि वह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप-पैराग्राफ (क) के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते परिग्रहण की तारीख को आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में बाजार अर्थव्यवस्था के मानदंड मौजूद हों। किसी भी स्थिति में, उप-पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान परिग्रहण की तारीख के 15 वर्ष बाद समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि चीन आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह स्थापित कर देता है कि किसी विशिष्ट उद्योग अथवा क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो उप-पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।”

64. इस संबंध में यह नोट किया गया है कि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान समाप्त हो चुका है, किंतु अनुच्छेद 15(क)(i), जिसे पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 8 के साथ पढ़ा जाए, जांचाधीन उत्पादकों से यह दर्शाने की अपेक्षा करता है कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। गुआंगडोंग फूवा ने न तो बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा किया है और न ही अनुबंध-1 के पैराग्राफ 8(2) के प्रावधानों के अंतर्गत धारणा का खंडन करने के लिए अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराई है। किसी अन्य उत्पादक ने उत्तर नहीं दिया है। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है:

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर, अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत के आधार पर अथवा जहां यह संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत भी शामिल है, आवश्यक होने पर उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समुचित समायोजन के साथ किया जाएगा। अभिहित प्राधिकारी संबंधित देश के विकास स्तर और प्रश्नगत उत्पाद को ध्यान में रखते हुए उचित तरीके से उपर्युक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन करेगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी भी विश्वसनीय सूचना का समुचित ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी समान मामले में की गई जांच को समय-सीमा के भीतर ध्यान में रखा जाएगा। जांच के पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले

उक्त तीसरे देश के चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित समय दिया जाएगा।”

65. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में दक्षिण अफ्रीका को उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश प्रस्तावित किया है और बताया है कि उसने वर्तमान जांच अवधि के दौरान उस बाजार में विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा का निर्यात किया तथा ऐसे निर्यातों के पहुंच मूल्य दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित कीमतों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तथापि, जांच शुरुआत के समय नोट किए अनुसार आवेदक ने न तो उपयुक्त तीसरे देश के रूप में दक्षिण अफ्रीका की उपयुक्तता को प्रमाणित किया है और न ही उस बाजार में प्रतिनिधिक कीमतों के रूप में अपने स्वयं के निर्यातों के पहुंच मूल्यों के उपयोग को। दक्षिण अफ्रीका में समान वस्तु की घरेलू कीमतों अथवा निर्मित मूल्य का कोई विश्वसनीय सहायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
66. प्राधिकारी ने इस संबंध में अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 में निर्धारित विकल्पों की क्रमवार जांच की है। प्रथम, उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य को नहीं अपनाया जा सका क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का चयन और प्रस्तावित कीमत आधार प्रमाणित नहीं किए गए थे। द्वितीय, उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की गई समान वस्तु की कीमत के संबंध में विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पहले दो विकल्पों में से किसी को भी लागू नहीं किया जा सका। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के अंतर्गत शेष उचित आधार अपनाया है और भारत में भुगतान योग्य कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जिसे भारत में समान वस्तु की उत्पादन लागत से, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ के लिए समुचित समायोजन सहित निर्मित किया गया है।
67. एचडीटीपीएल की प्रस्तावित गणना स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि उसमें भाग न लेने वाले ऐसे उत्पादक, जिसने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है, के वर्तमान जांच अवधि के बाद के घरेलू बिक्री बीजकों की किसी अलग उत्पादक के निर्यात बीजकों से तुलना की गई है। इसके अतिरिक्त, आयात मात्रा में वृद्धि का अभाव पाटन के अभाव को स्थापित नहीं करता, क्योंकि पाटन का निर्धारण सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना द्वारा किया जाता है।

छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण

गुआंगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

68. गुआंगडोंग फूवा विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है। वर्तमान जांच अवधि के दौरान उसने विचाराधीन उत्पाद के *** नग भारत को सीधे तीन असंबद्ध ग्राहकों को निर्यात किए हैं।
गुआंगडोंग फूवा → भारत में असंबद्ध ग्राहक
69. उत्पादक द्वारा रिपोर्ट किए गए निर्यातों का डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों से मिलान किया गया है। निर्यात कीमत भारत में असंबद्ध ग्राहकों से वसूली गई कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

70. संबद्ध देश के उन सभी अन्य उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है, के लिए निर्यात कीमत नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है, जिसमें डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार सहयोगी उत्पादक के अलावा अन्य उत्पादकों की विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के आयात की कीमत को ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

छ.3.3 पाटन मार्जिन

71. उपर्युक्त अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

पाटन मार्जिन तालिका						
क्र. सं.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य (अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन)	निर्यात कीमत (अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन)	पाटन मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (सीमा)
1	गुआंगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	15-25
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	40-50

72. इस संबंध में यह नोट किया गया है कि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटन मार्जिन सकारात्मक और न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस प्रकार वर्तमान जांच अवधि के दौरान विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं का भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात जारी रहा है।

ज क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

73. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

क **जांच की प्रकृति:** सकारात्मक साक्ष्य के माध्यम से यह स्थापित करने का दायित्व घरेलू उद्योग पर है कि शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है। क्षति के दावे अनुमानात्मक हैं।

ख **मात्रा प्रभाव:** संबंधित क्षति अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयातों में केवल मामूली वृद्धि हुई है, जबकि मांग तथा घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री बहुत अधिक दर से बढ़ी है। आयातों में उतार-चढ़ाव हुआ है और लंबी अवधि में उनमें गिरावट आई है। कोई मात्रा प्रभाव नहीं है।

- ग **कीमत प्रभाव:** आयातों का पहुंच मूल्य स्थिर रहा है और घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति में वृद्धि हुई है। बिक्री प्राप्ति में किसी प्रतिकूल बदलाव के बिना कीमत में कटौती क्षति स्थापित नहीं करती। एचडीटीपीएल के लेनदेनों में पहुंच मूल्य क्षतिरहित कीमत से अधिक है।
- घ **आर्थिक मानदंड:** घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू और निर्यात बिक्री, लाभ, नकद लाभ, रोजगार, मजदूरी तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में संबंधित क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ है और मालसूची में गिरावट आई है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट कार्यबल में वृद्धि से स्पष्ट होती है।
- ङ **एक कंपनी के रूप में आवेदक का वित्तीय निष्पादन:** आवेदक की कुल आय और कर पश्चात लाभ में पर्याप्त वृद्धि हुई है, उसके पास बड़ी नकद शेष राशि है और उसने अपनी क्षमता का विस्तार किया है। ऐसा निष्पादन क्षति के अनुरूप नहीं है। तुर्की और रूस से सोडा ऐश की सनसेट समीक्षा के निष्कर्षों पर भरोसा किया गया है।
- च **कारणात्मक संबंध और अन्य कारक:** कोई कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं है। ब्याज और मूल्यहास लागत में वृद्धि आयातों से स्वतंत्र है और इसकी अलग से जांच की जानी चाहिए। चक्रीय मांग, प्रौद्योगिकी, घटक आपूर्तिकर्ताओं की गुणवत्ता और लागत, परिचालन अक्षमता तथा अन्य घरेलू उत्पादकों से तीव्र प्रतिस्पर्धा जैसे अन्य कारकों ने किसी क्षति में योगदान दिया हो सकता है।

ज.2 घरेलू उद्योग के विचार

74. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:
- क **जांच की प्रकृति:** वर्तमान कार्यवाही सनसेट समीक्षा है, कोई नई मूल जांच नहीं। प्रश्न यह है कि शुल्क समाप्त होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं। निष्पादन में सुधार एक प्रभावी शुल्क से अपेक्षित परिणाम है और अपने-आप यह नहीं दर्शा सकता कि अब शुल्क की आवश्यकता नहीं है।
- ख **मात्रा प्रभाव:** शुल्क के बावजूद संबंधित क्षति अवधि के दौरान आयात जारी रहे हैं और पहली सनसेट समीक्षा के स्तर से अधिक हैं। भारतीय उत्पादकों के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।
- ग **कीमत प्रभाव:** संबंधित क्षति अवधि के दौरान आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती की है और उनका पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा क्षतिरहित कीमत से नीचे बना रहा है।
- घ **आर्थिक मानदंड:** हितबद्ध पक्ष आधार वर्ष की तुलना में सुधार पर चुनिंदा रूप से भरोसा करते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्तमान जांच अवधि में उत्पादन, बिक्री, लाभ, नकद लाभ, रोजगार और उत्पादकता में गिरावट आई, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी और पर्याप्त क्षमता निष्क्रिय रही।

- ड **एक कंपनी के रूप में आवेदक का वित्तीय निष्पादन:** एचडीटीपीएल द्वारा उद्धृत आंकड़े संपूर्ण कंपनी के हैं और इनमें विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के अलावा अन्य उत्पाद तथा व्यापारिक गतिविधियां शामिल हैं। पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत क्षति विश्लेषण समान वस्तु से संबंधित है।
- च **कारणात्मक संबंध और अन्य कारक:** सनसेट समीक्षा में संभावित पाटन और संभावित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध नए सिरे से स्थापित करना आवश्यक नहीं है (अमेरिका - मेक्सिको से ऑयल कंट्री ट्यूबलर गुड्स पर पाटनरोधी उपाय, WT/DS282/AB/R)। एचडीटीपीएल द्वारा बताए गए अन्य कारकों को परिमाणित नहीं किया गया है और अधिक से अधिक वे गैर-आरोपण विश्लेषण की मांग करते हैं।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा की गई जांच

75. पाटनरोधी नियमावली का नियम 11, जिसे अनुबंध-II के साथ पढ़ा जाए, प्रावधान करता है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, "... सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल है ..."। सनसेट समीक्षा में प्राधिकारी इस बात की जांच करता है कि शुल्क लागू रहते हुए घरेलू उद्योग को क्षति जारी रही है या नहीं तथा शुल्क को समाप्त होने दिया जाए तो क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं। घरेलू उद्योग की वर्तमान स्थिति की इस भाग में तथा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना की अगले भाग में जांच की गई है।
76. क्षति की जांच समान वस्तु के लिए की जानी अपेक्षित है। एचडीटीपीएल द्वारा उद्धृत कुल आय, कर पश्चात लाभ और नकद शेष राशि संपूर्ण आवेदक कंपनी की है, जो विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के अलावा अन्य उत्पादों का भी कारोबार करती है। प्राधिकारी ने इस संबंध में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की घरेलू बिक्री के लिए पृथक की गई घरेलू उद्योग की सूचना पर भरोसा किया है।

ज.3.1 संबद्ध आयातों का मात्रा प्रभाव

मांग का आकलन (प्रत्यक्ष खपत)

77. प्राधिकारी ने इस संबंध में भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	संबद्ध देश से आयात	मीट्रिक टन	1,279	2,289	1,418	1,352
2	अन्य देशों से आयात	मीट्रिक टन	-	-	-	-
3	कुल आयात	मीट्रिक टन	1,279	2,289	1,418	1,352

4	घरेलू उद्योग की बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	150	128	122
5	अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	128	146	142
6	कुल मांग	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	144	133	128

78. इस संबंध में यह देखा गया है कि विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं की मांग 2023-24 में बढ़ी और उसके बाद घटी, किंतु वर्तमान जांच अवधि में यह आधार वर्ष की तुलना में अधिक बनी रही।

निरपेक्ष और सापेक्ष रूप में आयात

79. आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या आयातों में निरपेक्ष रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। संबंधित क्षति अवधि के दौरान आयातों की मात्रा निम्नानुसार थी:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	संबद्ध आयात	मीट्रिक टन	1,279	2,289	1,418	1,352
2	अन्य आयात	मीट्रिक टन	-	-	-	-
3	कुल आयात	मीट्रिक टन	1,279	2,289	1,418	1,352
4	संबद्ध आयातों का निम्न के संबंध में अनुपात:					
क	भारतीय मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	124	83	83
ख	घरेलू उद्योग का उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	112	87	87
ग	कुल आयात	%	100	100	100	100

80. प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि लागू शुल्क के बावजूद संबंधित क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के आयात जारी रहे हैं। आयात 2023-24 में बढ़े और उसके बाद घटे तथा वर्तमान जांच अवधि में संबद्ध आयात निरपेक्ष रूप में आधार वर्ष की तुलना में मामूली रूप से अधिक और मांग तथा उत्पादन की तुलना में कम थे। संबद्ध देश भारत में विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के आयात का एकमात्र स्रोत है।

ज.3.2 संबद्ध आयातों का कीमत प्रभाव

81. आयातों के कीमतों पर प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करने या उन कीमत वृद्धि को रोकने का रहा है जो अन्यथा होती।

कीमत में कटौती

82. कीमत में कटौती के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति की तुलना पाटनरोधी शुल्क को छोड़कर संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य से की गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	जांच अवधि
1	शुद्ध बिक्री प्राप्ति	₹/मीट्रिक टन	***
2	पहुंच मूल्य	₹/मीट्रिक टन	1,45,115
3	कीमत में कटौती	₹/मीट्रिक टन	***
4	कीमत में कटौती	%	***
5	कीमत में कटौती	सीमा	5-15

83. इस संबंध में यह नोट किया गया है कि जब पहुंच मूल्य की गणना पाटनरोधी शुल्क के बिना की जाती है, तब संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। लागू शुल्क सहित संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य औसतन घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से केवल थोड़ा अधिक है।

कीमत दमन और कीमत हास

84. यह निर्धारित करने के लिए कि आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं अथवा उन कीमत वृद्धि को रोक रहे हैं जो अन्यथा होती, प्राधिकारी ने इस संबंध में संबंधित क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत में हुए परिवर्तनों की जांच की है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	बिक्री लागत	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	102	99	101
2	बिक्री कीमत	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	99	100	101
3	पहुंच कीमत	₹/कि.ग्रा.	142.67	142.36	149.21	145.11
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	100	105	102

85. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों संबंधित क्षति अवधि के दौरान मोटे तौर पर स्थिर रही हैं तथा बिक्री कीमत पूरे समय बिक्री लागत से अधिक रही है। शुल्क लागू रहने पर घरेलू उद्योग की कीमतों का न तो दमन हुआ है और न ही ह्रास। तथापि, यह भी देखा गया है कि वर्तमान जांच अवधि में शुल्क के बिना आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे था।

ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

86. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में अपेक्षित है कि क्षति निर्धारण में समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल हो, जिसमें उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन भी शामिल है। तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की समुचित रूप से जांच की गई है।

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	क्षमता	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	100	100	100
2	उत्पादन	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	160	127	122
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	160	127	122
4	घरेलू बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	150	128	122
5	निर्यात बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	288	129	118

87. घरेलू उद्योग की क्षमता अपरिवर्तित रही है। उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री मांग में वृद्धि के अनुरूप 2023-24 में बढ़ी और उसके बाद घटी, किंतु वर्तमान जांच अवधि में आधार वर्ष की तुलना में अधिक बनी रही। घरेलू उद्योग के पास अभी भी अप्रयुक्त क्षमता है।

मांग में बाजार हिस्सेदारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	संबद्ध देश	%	3.51	4.36	2.93	2.91
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	124	83	83
2	अन्य देश	%	-	-	-	-
3	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	104	96	96
4	अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	89	110	111

88. भारतीय उत्पादकों के पास संयुक्त रूप से बाजार की प्रमुख हिस्सेदारी है। संबंधित क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। यह हिस्सेदारी संबद्ध आयातों को नहीं बल्कि अन्य भारतीय उत्पादकों को गई है, जिनमें वर्तमान जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी आधार वर्ष की तुलना में कम है।

मालसूची

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	आरंभिक मालसूची	मीट्रिक टन	***	***	***	***
2	अंतिम मालसूची	मीट्रिक टन	***	***	***	***
3	औसत मालसूची	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	109	100	95

89. संबंधित क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में मामूली गिरावट आई है।

रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	149	143	140
2	वेतन एवं मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	136	126	134
3	प्रतिदिन उत्पादकता	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	160	127	122
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	107	89	87

90. संबंधित क्षति अवधि के दौरान रोजगार और मजदूरी में वृद्धि हुई है। प्रतिदिन उत्पादकता उत्पादन के साथ बदली है, जबकि प्रति कर्मचारी उत्पादकता 2023-24 के बाद से घटी है।

लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	कर-पूर्व लाभ	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	55	122	115
2	ब्याज और कर-पूर्व लाभ	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	60	127	120
3	ब्याज लागत	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	231	290	296
4	मूल्यहास	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	116	130	132
5	मूल्यहास, ब्याज और कर-पूर्व लाभ	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	67	127	122
6	नकद लाभ	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	62	123	117
7	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	75	138	161

91. इस संबंध में यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने इस संबंध में क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की घरेलू बिक्री पर लाभ और नकद लाभ अर्जित किया है। लाभप्रदता 2023-24 में घटी, 2024-25 में सुधरी और वर्तमान जांच अवधि में कुछ कम हुई, किंतु आधार वर्ष की तुलना में अधिक बनी रही। संबंधित क्षति अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में सुधार हुआ है।

वृद्धि

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	उत्पादन	%	60.05	(20.75)	(4.04)
2	घरेलू बिक्री	%	49.76	(14.70)	(4.28)
3	क्षमता उपयोग	%	60.05	(20.75)	(4.04)
4	घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी	%	3.91	(7.41)	(0.49)
5	बिक्री कीमत	%	(0.77)	1.07	0.85
6	बिक्री लागत	%	1.86	(2.49)	1.27
7	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	(24.75)	83.54	16.22
8	कर-पूर्व लाभ	%	(44.85)	121.27	(5.82)
9	ब्याज और कर-पूर्व लाभ	%	(39.75)	110.64	(5.29)
10	नकद लाभ	%	(37.61)	97.11	(4.92)
11	मूल्यहास, ब्याज और कर-पूर्व लाभ	%	(33.29)	90.77	(4.51)
12	औसत मालसूची	%	9.48	(8.60)	(5.32)

92. घरेलू उद्योग के मात्रा मानदंडों ने 2023-24 में मजबूत वृद्धि और उसके बाद ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई। लाभप्रदता मानदंडों में विपरीत प्रवृत्ति रही, जिसमें वर्तमान जांच अवधि में मामूली गिरावट आई, जबकि नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में वृद्धि जारी रही।

पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

93. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में संबंधित क्षति अवधि के दौरान लगातार लाभ तथा नियोजित पूंजी पर सकारात्मक प्रतिफल अर्जित किया है। संबंधित क्षति अवधि के दौरान पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता प्रभावित नहीं हुई है।

पाटन मार्जिन की मात्रा

94. विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं का भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात जारी है। पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

95. भारतीय उत्पादकों के पास संयुक्त रूप से बाजार की प्रमुख हिस्सेदारी है और भारत में समान वस्तु के छह उत्पादक हैं। संबंधित क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतें उसकी लागतों तथा घरेलू उत्पादकों के बीच और शुल्क-भुगतान किए गए आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित हुई हैं।

समग्र आकलन

96. हितबद्ध पक्षों ने आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के मानदंडों में सुधार पर जोर दिया है, जबकि घरेलू उद्योग ने इस संबंध में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्तमान जांच अवधि में गिरावट

और निष्क्रिय क्षमता पर जोर दिया है। प्राधिकारी से सभी मानदंडों का समग्र आकलन करना अपेक्षित है। ऐसे आकलन पर अभिलेख में उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क लागू रहने पर घरेलू उद्योग ने संबंधित क्षति अवधि के दौरान अपने उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में सुधार किया है, लाभप्रद बना रहा है और वर्तमान जांच अवधि में नियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल अर्जित किया है। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लागू शुल्क के साथ घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति से पीड़ित नहीं पाया गया है।

झ कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

97. प्राधिकारी ने इस संबंध में हितबद्ध पक्षों के अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए यह जांच की है कि संबंधित क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में बदलाव संबंध आयातों के कारण है अथवा अन्य ज्ञात कारकों के कारण।
- क **तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य:** संबंध देश के अलावा अन्य देशों से विचाराधीन संबंध वस्तुओं का कोई आयात नहीं है।
 - ख **मांग में संकुचन और खपत के स्वरूप में परिवर्तन:** मांग 2023-24 में बढ़ी और उसके बाद घटी। 2023-24 के बाद घरेलू उद्योग की मात्राओं में आई नरमी मांग में गिरावट के साथ मेल खाती है। खपत के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया गया है।
 - ग **प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियां और व्यापार-प्रतिबंधक पद्धतियां:** संबंधित क्षति अवधि के दौरान अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री और बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी है। इस प्रकार घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट का एक कारक रही है।
 - घ **प्रौद्योगिकी में विकास:** वर्तमान जांच के अभिलेख पर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं रखा गया है कि घरेलू उद्योग की प्रौद्योगिकी अप्रचलित है अथवा उसका उत्पाद बाजार में स्वीकार्य नहीं है।
 - ङ **निर्यात निष्पादन:** जांच की गई सूचना घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री से संबंधित है। उसके निर्यात निष्पादन को पृथक किया गया है।
 - च **उत्पादकता:** प्रति कर्मचारी उत्पादकता 2023-24 के बाद से घटी है। इसने घरेलू उद्योग को लाभ अर्जित करने से नहीं रोका है।
 - छ **अन्य उत्पादों का निष्पादन:** जांच की गई सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के लिए है।
98. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान जांच अवधि में घरेलू उद्योग की मात्राओं और बाजार हिस्सेदारी में आई नरमी कुछ सीमा तक मांग में गिरावट और अन्य घरेलू उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा के कारण है।
99. प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि सनसेट समीक्षा में किया जाने वाला निर्धारण यह है कि शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं। यह तथ्य कि शुल्क लागू रहते हुए घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति से पीड़ित नहीं पाया गया

है, एक प्रासंगिक तथ्य है, किंतु इससे समीक्षा समाप्त नहीं होती। क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की आगे जांच की गई है।

अ क्षति मार्जिन की मात्रा

अ.1 अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत विचार

100. क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:
101. नियोजित पूंजी पर प्रतिफल: क्षतिरहित कीमत निर्धारित करते समय नियोजित पूंजी पर अनुमत 22% का प्रतिफल बढ़ा-चढ़ाकर रखा गया है और अनुबंध-III के अर्थ में उचित प्रतिफल नहीं है। इसका उद्गम 1987 के एक औषधि कीमत नियंत्रण आदेश में है, जब ब्याज और कर की दरें बहुत अधिक थीं, और इससे निवल मूल्य पर कहीं अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है। ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग एवं अन्य बनाम अभिहित प्राधिकारी तथा हयोसुंग कॉरपोरेशन बनाम अभिहित प्राधिकारी (सीईएसटीएटी) और यूरोपीय संघ की पद्धति पर भरोसा किया गया है। पाटन के बिना किसी अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा वास्तव में अर्जित प्रतिफल को अपनाया जाना चाहिए।
102. क्षति मार्जिन: एचडीटीपीएल के आपूर्तिकर्ताओं के बीजकों के आधार पर आयातों का पहुंच मूल्य क्षतिरहित कीमत से अधिक है और क्षति मार्जिन ऋणात्मक है।

अ.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विचार

103. क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:
104. नियोजित पूंजी पर प्रतिफल: अनुबंध-III औसत नियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल का प्रावधान करता है और प्राधिकारी ने इस संबंध में सुसंगत रूप से 22% का कर-पूर्व प्रतिफल लागू किया है। गुआंगडोंग फूवा काल्पनिक पूंजी संरचनाओं पर भरोसा करता है और घरेलू उद्योग की सत्यापित लागत अथवा नियोजित पूंजी में किसी त्रुटि की ओर संकेत नहीं करता। यूरोपीय संघ की पद्धति अलग वैधानिक ढांचे के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पन्न होती है।
105. क्षति मार्जिन: आयात क्षतिरहित कीमत से नीचे प्रवेश कर रहे हैं, जैसा कि मूल जांच और पहली सनसेट समीक्षा में भी हुआ था।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा की गई जांच

106. प्राधिकारी ने इस संबंध में यथा-संशोधित पाटनरोधी नियमावली के साथ पठित अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। क्षतिरहित कीमत वर्तमान जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना को अपनाकर निर्धारित की गई है। इस प्रयोजन के लिए संबंधित क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल,

उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय प्रभारित न किया गया हो। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थायी परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई है, जैसा कि अनुबंध-III में निर्धारित है और प्राधिकारी द्वारा सुसंगत रूप से अपनाया जाता रहा है।

107. नियोजित पूंजी पर प्रतिफल के संबंध में अनुबंध-III ब्याज, कॉरपोरेट कर और लाभ की वसूली के लिए औसत नियोजित पूंजी पर उचित कर-पूर्व प्रतिफल का प्रावधान करता है। 22% का प्रतिफल नियोजित पूंजी पर कर-पूर्व प्रतिफल है, जिसमें से उधार पर ब्याज और कॉरपोरेट कर का भुगतान किया जाना है; यह निवल मूल्य पर प्रतिफल नहीं है। प्राधिकारी द्वारा इसे समान रूप से अपनाया गया है। गुआंगडोंग फूवा की उदाहरणात्मक गणनाएं अनुमानित पूंजी संरचनाओं और दरों पर आधारित हैं और घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी से संबंधित नहीं हैं तथा अपने-अपने विधान के प्रावधानों के अंतर्गत अन्य न्यायक्षेत्रों की पद्धति अनुबंध-III के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारण को नियंत्रित नहीं करती। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि वर्तमान मामले में इस प्रकार निर्धारित क्षतिरहित कीमत वर्तमान जांच अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा वास्तव में प्राप्त कीमत से कम है।
108. सहयोगी उत्पादक के लिए पहुंच मूल्य उसके प्रश्नावली उत्तर के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसका डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों से मिलान किया गया है। असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पहुंच मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। पहुंच मूल्य और क्षतिरहित कीमत के आधार पर क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:

क्षति मार्जिन तालिका

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	क्षतिरहित कीमत (अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन)	पहुँच मूल्य (अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन)	क्षति मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (सीमा)
1	गुआंगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20-30

ट पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

109. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

क कानूनी मानक: दूसरी सनसेट समीक्षा शुल्क को स्वतः जारी रखने को उचित नहीं ठहराती। भावी आकलन वस्तुनिष्ठ और सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। पूर्ववर्ती कार्यवाहियों के निष्कर्ष निर्णायक नहीं हैं और पाटनरोधी शुल्क अनिश्चितकालीन संरक्षण प्रदान करने के लिए नहीं है।

ख पाटन का जारी रहना और आयातों की प्रवृत्ति: पाटन मार्जिन को संभावित क्षति का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। आयातों में उतार-चढ़ाव हुआ है और उनकी निरंतर मौजूदगी यह नहीं दर्शाती कि शुल्क की समाप्ति से क्षतिकारी कीमतों पर आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

ग अधिशेष क्षमता: घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत चार चीनी उत्पादकों की संयुक्त क्षमता यह स्थापित नहीं करती कि गुआंगडोंग फूवा के पास ऐसी अधिशेष क्षमता है जिसके भारत की ओर मोड़े जाने की संभावना है। गुआंगडोंग फूवा उच्च क्षमता उपयोग दर पर परिचालन करता है। केवल अप्रयुक्त क्षमता अथवा मालसूची का अस्तित्व संभावना स्थापित नहीं करता।

घ तीसरे देशों को निर्यात: तीसरे देशों को निर्यात का अस्तित्व यह स्थापित नहीं करता कि ऐसी मात्राएं भारत की ओर निर्देशित की जाएंगी अथवा पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर प्रवेश करेंगी।

ङ घरेलू उद्योग की स्थिति: घरेलू उद्योग के निष्पादन में वास्तविक सुधार को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग संभावना स्थापित करने के विकल्प के रूप में शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव पर भरोसा नहीं कर सकता।

ट.2 घरेलू उद्योग के विचार

110. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

क कानूनी मानक: अधिनियम की धारा 9क(5) और नियम 23(1ख) के प्रावधानों के अंतर्गत कसौटी भावी और प्रतिकल्पित है। “संभावना” का मानक समग्र निर्धारण पर लागू होता है और साक्ष्य का संचयी रूप से आकलन किया जाना चाहिए। ऋषिरूप पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम अभिहित प्राधिकारी [(2006) 4 एससीसी 303], पी.टी. असाहिमास केमिकल्स बनाम अभिहित प्राधिकारी (सीईएसटीएटी), अमेरिका - जंग-रोधी इस्पात सनसेट समीक्षा (WT/DS244/AB/R) तथा अमेरिका - ऑयल कंट्री ट्यूबुलर गुड्स सनसेट समीक्षा (WT/DS268/AB/R) पर भरोसा किया गया है।

ख पाटन का जारी रहना और आयातों की प्रवृत्ति: लगभग एक दशक से शुल्क लागू रहने के बावजूद पाटन जारी रहा है और प्रत्येक जांच में मार्जिन महत्वपूर्ण रहे हैं। चीनी निर्यातकों की भारतीय बाजार में स्थापित उपस्थिति बनी हुई है।

- ग **अधिशेष क्षमता:** गुआंगडोंग फूवा सहित चार प्रमुख चीनी उत्पादकों के पास संयुक्त रूप से ऐसी अप्रयुक्त क्षमता है जो भारतीय मांग से कई गुना अधिक है। पहली सनसेट समीक्षा में भारतीय मांग की तुलना में गुआंगडोंग फूवा की अप्रयुक्त क्षमता को महत्वपूर्ण पाया गया था।
- घ **तीसरे देशों को निर्यात:** चीनी उत्पादक अत्यधिक निर्यात-उन्मुख हैं। पहली सनसेट समीक्षा में गुआंगडोंग फूवा के अपने आंकड़ों के आधार पर दर्ज किया गया था कि उसने तीसरे देशों को भारत की तुलना में बहुत अधिक मात्रा का निर्यात भारत को की गई कीमतों से कम कीमतों पर किया।
- ङ **परिहार:** शुल्क लगाए जाने के बाद विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं का सीकेडी/एसकेडी अवस्था में आयात किया गया और प्राधिकारी ने इस संबंध में पाया कि ऐसे आयात शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव को कमजोर कर रहे थे। यह भारतीय बाजार तक पहुंच बनाए रखने के वाणिज्यिक प्रोत्साहन को दर्शाता है।
- च **घरेलू उद्योग की स्थिति:** घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त निष्क्रिय क्षमता है और वह संवेदनशील स्थिति में है। आयात उसकी बिक्री लागत से नीचे हैं तथा शुल्क समाप्त होने पर उसे या तो अपनी कीमतें कम करनी होंगी अथवा बिक्री गंवानी होगी।
- छ **पहली सनसेट समीक्षा की प्रासंगिकता:** पूर्ववर्ती सनसेट समीक्षा के निष्कर्ष तब तक प्रासंगिक बने रहते हैं जब तक यह नहीं दिखाया जाता कि परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है (एसोसिएशन ऑफ़ मैन-मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ़ इंडिया बनाम अभिहित प्राधिकारी, सीईएसटीएटी)। ऐसा कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया गया है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा की गई जांच

111. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5), जिसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पढ़ा जाए, इस बात का भावी आकलन अपेक्षित करती है कि मौजूदा शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं। सनसेट समीक्षा में घरेलू उद्योग से यह दर्शाना आवश्यक नहीं है कि शुल्क लागू रहते समय वह वर्तमान में वास्तविक क्षति से पीड़ित है। इसी प्रकार, केवल यह तथ्य कि शुल्क लंबी अवधि से लागू है, न तो उसे स्वतः जारी रखने और न ही स्वतः समाप्त करने को उचित ठहराता है। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने इस संबंध में किसी एक कारक को निर्णायक मानने के बजाय प्रासंगिक कारकों की संयुक्त रूप से जांच की है। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों, जिनमें वर्तमान जांच के अभिलेख पर उपलब्ध वर्तमान जांच अवधि के बाद की सूचना भी शामिल है, घरेलू उद्योग की सत्यापित सूचना, गुआंगडोंग फूवा के प्रश्नावली उत्तर, हितबद्ध पक्षों के अभ्यावेदन तथा पूर्ववर्ती जांचों के निष्कर्षों पर विचार किया है। आयात मात्रा और कीमतों, उपलब्ध क्षमता, तीसरे देशों को निर्यात तथा शुल्क की समाप्ति के घरेलू उद्योग पर संभावित प्रभाव से संबंधित प्रासंगिक साक्ष्य का नीचे विश्लेषण किया गया है।

संबद्ध देश से आयातों की मात्रा और पाटन का जारी रहना

112. लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद वर्तमान जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुएं पाटित कीमतों पर भारत में प्रवेश करती रहीं। खंड II में निर्धारित अनुसार पाटन मार्जिन गुआंगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड के लिए ***% और असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए ***% है। इससे वर्तमान जांच अवधि के दौरान पाटन का जारी रहना स्थापित होता है।
113. चीन जन. गण. से आयातों की मात्रा 2022-23 में 1,279 मीट्रिक टन थी, जो 2023-24 में बढ़कर 2,289 मीट्रिक टन हुई और इसके बाद 2024-25 में घटकर 1,418 मीट्रिक टन तथा वर्तमान जांच अवधि में 1,352 मीट्रिक टन हो गई। भारतीय मांग में इनकी हिस्सेदारी क्रमशः ***%, ***%, ***% और ***% थी। इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध आयातों ने भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखी है।

वर्तमान जांच अवधि के बाद के घटनाक्रम

114. प्राधिकारी ने इस संबंध में अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक की चार माह की जांच अवधि के बाद की अवधि के लिए डीजी सिस्टम्स के आयात आंकड़ों की जांच की है। चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों को वार्षिक आधार पर गणना करने पर वे *** मीट्रिक टन बनते हैं, जो वर्तमान जांच अवधि में दर्ज *** मीट्रिक टन से मामूली रूप से अधिक हैं। वर्तमान जांच अवधि के बाद की अवधि में संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य वर्तमान जांच अवधि के लगभग ₹1,45,115 प्रति मीट्रिक टन के पहुंच मूल्य के व्यापक रूप से तुलनीय बना रहा, जिससे आयात कीमतों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि न होना दर्शाता है। इस प्रकार, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद आयात तुलनीय वार्षिकीकृत दर पर और व्यापक रूप से अपरिवर्तित कीमतों पर जारी रहे। यद्यपि चार माह के आयातों का वार्षिकीकरण केवल संकेतात्मक है और पूरे वर्ष के वास्तविक आयातों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, फिर भी निरंतर आयात मात्रा और कीमत स्तर, वर्तमान जांच अवधि के दौरान स्थापित पाटन तथा चीनी उत्पादकों की उपलब्ध निर्यात क्षमता के साथ पढ़े जाने पर, इस प्रबल संभावना को पुष्ट करते हैं कि शुल्क समाप्त होने पर पाटन जारी रहेगा और क्षति की पुनरावृत्ति होगी।

पाटन का इतिहास और पूर्ववर्ती समीक्षाएं

115. प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि मूल जांच के बाद 2016 में पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था और 2021 में पहली सनसेट समीक्षा के बाद इसे जारी रखा गया। 2021 के परिहार-रोधी निष्कर्षों के बाद शुल्क को सीकेडी/एसकेडी अवस्था में एक्सल पर भी विस्तारित किया गया था, हालांकि उन निष्कर्षों को व्यक्तिगत रूप से गुआंगडोंग फूवा से संबद्ध नहीं किया गया। यह इतिहास पाटित व्यापार की निरंतर प्रकृति और उसके प्रभावों को दूर करने के लिए उपायों की आवश्यकता को दर्शाता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मौजूदा शुल्क के बावजूद वर्तमान जांच अवधि में पाटन जारी रहा है, जबकि चीनी उत्पादकों के पास पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता, निर्यात उन्मुखता और भारतीय बाजार तक पहुंच बनी हुई है। तीसरे देशों को उनकी तुलनात्मक

रूप से कम निर्यात कीमतों तथा शुल्क समाप्त होने पर संभावित कीमत प्रभावों के साथ पढ़े जाने पर, ये परिस्थितियां मजबूत साक्ष्य प्रदान करती हैं कि मौजूदा शुल्क समाप्त होने पर पाटन के जारी रहने अथवा तीव्र होने और वास्तविक क्षति की पुनरावृत्ति की प्रबल संभावना है।

चीन जन. गण. के प्रमुख उत्पादकों की अप्रयुक्त उत्पादन और अधिशेष क्षमताएं

116. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में चीन जन. गण. में विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के चार प्रमुख उत्पादकों की उत्पादन क्षमता, वास्तविक उत्पादन और अप्रयुक्त क्षमता से संबंधित निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई है।

चीनी उत्पादक का नाम	स्थापित क्षमता (नग)	उत्पादन (नग)	अप्रयुक्त क्षमता (नग)
गुआंगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड	***	***	***
शानडोंग जिनशेंग एक्सल मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	***	***	***
शिजियाङ्गुआंग आओतोंग मशीनरी मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	***	***	***
गुआंगझोउ टीएनडी एक्सल कंपनी लिमिटेड	***	***	***
कुल	***	***	***

117. प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि घरेलू उद्योग के अनुमानों के अनुसार चार प्रमुख चीनी उत्पादकों की संयुक्त स्थापित क्षमता *** एक्सल है, जबकि उत्पादन *** एक्सल है, जिससे *** एक्सल (लगभग ***) की पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता शेष रहती है। प्रति एक्सल 350 किलोग्राम के संकेतात्मक वजन को ध्यान में रखते हुए संयुक्त स्थापित क्षमता और अप्रयुक्त क्षमता क्रमशः लगभग *** मीट्रिक टन और *** मीट्रिक टन के बराबर हैं, जो वर्तमान जांच अवधि के दौरान लगभग *** मीट्रिक टन की कुल भारतीय मांग का क्रमशः *** गुना और *** गुना है। इस प्रकार उपलब्ध अधिशेष क्षमता अकेले ही संपूर्ण भारतीय मांग से काफी अधिक है। गुआंगडोंग फूवा का प्रश्नावली उत्तर भी पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता की पुष्टि करता है। पर्याप्त उपलब्ध क्षमता, चीनी उत्पादकों के निर्यात-उन्मुख परिचालनों, भारत में उनकी स्थापित उपस्थिति और गुआंगडोंग फूवा द्वारा रिपोर्ट की गई तीसरे देशों को तुलनात्मक रूप से कम निर्यात कीमतों

के साथ मिलकर, भारत को निर्यात बढ़ाने की क्षमता और वाणिज्यिक प्रोत्साहन दोनों को दर्शाती है। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी मानता है कि मौजूदा शुल्क समाप्त होने पर इन क्षमताओं का आंशिक उपयोग अथवा मोड़ भी पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण बन सकता है, जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति की पुनरावृत्ति की प्रबल संभावना स्थापित होती है।

चीनी उत्पादकों की उपलब्ध क्षमता और निर्यात उन्मुखता

118. एकमात्र सहयोगी चीनी उत्पादक गुआंगडोंग फूवा ने अपनी स्थापित क्षमता, उत्पादन और निर्यातों के संबंध में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022	2023	2024	जांच अवधि
1	स्थापित क्षमता	नग	***	***	***	***
2	कुल उत्पादन	नग	***	***	***	***
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
4	अप्रयुक्त क्षमता	नग	***	***	***	***
5	भारत को पीयूसी का निर्यात	नग	***	***	***	***
6	अन्य देशों को पीयूसी का निर्यात	नग	***	***	***	***
7	अन्य देशों को कीमत, भारत को कीमत के % के रूप में	%	***	***	***	***

119. इस संबंध में यह नोट किया गया है कि:

- गुआंगडोंग फूवा ने उच्च क्षमता उपयोग पर परिचालन किया; तथापि, वर्तमान जांच अवधि के दौरान उसकी *** नग की अप्रयुक्त क्षमता संपूर्ण भारतीय मांग से अधिक और भारत को उसके निर्यातों से कई गुना थी, जो आपूर्ति बढ़ाने की पर्याप्त क्षमता दर्शाती है।
- तीसरे देशों को उसके निर्यात भारत को निर्यातों की तुलना में काफी अधिक बने रहे और संबंधित क्षति अवधि के दौरान उनमें पर्याप्त गिरावट आई, जो शुल्क समाप्त होने पर निर्यात मात्राओं को भारत की ओर मोड़ने की गुंजाइश दर्शाती है।
- तीसरे देशों को गुआंगडोंग फूवा की निर्यात कीमतें लगातार भारत को उसकी कीमतों से कम थीं और 2022, 2023, 2024 तथा वर्तमान जांच अवधि के दौरान क्रमशः भारत की कीमत का ***%, ***%, ***% और ***% थीं। कीमतों का यह स्वरूप कम कीमत वाले निर्यातों को भारत की ओर पुनर्निर्देशित करने के मजबूत वाणिज्यिक प्रोत्साहन को दर्शाता है।

- iv. गुआंगडोंग फूवा एकमात्र सहयोगी चीनी उत्पादक है। घरेलू उद्योग ने इस संबंध में तीन अन्य चीनी उत्पादकों की पर्याप्त क्षमताओं के संबंध में ऐसी सूचना भी वर्तमान जांच के अभिलेख पर रखी है जिसका खंडन नहीं किया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि चीन जन. गण. में महत्वपूर्ण अतिरिक्त आपूर्ति क्षमता मौजूद है।
- v. प्राधिकारी मानता है कि पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता, उच्च निर्यात उन्मुखता, तीसरे देशों में कम कीमतें और भारतीय बाजार तक स्थापित पहुंच को संचयी रूप से देखने पर शुल्क समाप्त होने पर पाटित आयातों में वृद्धि की प्रबल संभावना प्रदर्शित होती है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू कीमतों पर नीचे की ओर दबाव और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति की पुनरावृत्ति होगी।

तीसरे देशों को निर्यात और भारतीय बाजार का आकर्षण

120. गुआंगडोंग फूवा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना उसके भारत को निर्यात और तीसरे देशों के बाजारों को निर्यात के बीच लगातार और महत्वपूर्ण कीमत अंतर दर्शाती है। रिपोर्ट की गई प्रत्येक अवधि में तीसरे देशों को औसत निर्यात कीमत भारत को संबंधित निर्यात कीमत से पर्याप्त रूप से कम थी। 2022, 2023, 2024 और वर्तमान जांच अवधि के दौरान तीसरे देशों को निर्यात कीमतें भारत को निर्यातों पर प्राप्त कीमतों का क्रमशः लगभग **%, **%, **% और **% थीं। यह लगातार कीमत अंतर, गुआंगडोंग फूवा की पर्याप्त निर्यात मात्राओं और भारतीय बाजार में स्थापित उपस्थिति के साथ पढ़े जाने पर, दर्शाता है कि महत्वपूर्ण मात्राएं पहले से ही अन्य बाजारों में भारत से वसूली गई कीमतों से काफी कम कीमतों पर बेची जा रही हैं। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में भारतीय बाजार में वर्तमान में कार्यरत अतिरिक्त कीमत संबंधी प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा, जिससे भारत ऐसे कम कीमत वाले निर्यातों के लिए काफी अधिक आकर्षक बन जाएगा। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, साक्ष्य शुल्क समाप्त होने पर तीसरे देशों के बाजारों से भारत की ओर निर्यातों के मोड़ अथवा पुनर्निर्देशन के मजबूत वाणिज्यिक प्रोत्साहन को स्थापित करता है।
121. प्राधिकारी आगे नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्क के बावजूद चीनी उत्पादकों ने भारतीय बाजार तक अपनी पहुंच बनाए रखी है। यह स्थापित बाजार पहुंच, पर्याप्त उपलब्ध उत्पादन क्षमता, उच्च निर्यात उन्मुखता और तीसरे देशों के निर्यात बाजारों में प्रचलित काफी कम कीमतों के साथ मिलकर, संबद्ध देश के उत्पादकों की भारत को निर्यात बढ़ाने की क्षमता और आर्थिक प्रोत्साहन दोनों को प्रदर्शित करती है। उपलब्ध क्षमता का महत्व केवल उसके निरपेक्ष आकार में नहीं है, बल्कि इस तथ्य में भी है कि उपलब्ध निर्यात योग्य अधिशेष का सीमित मोड़ भी भारतीय मांग की तुलना में महत्वपूर्ण होगा। तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्षमता, निर्यात उन्मुखता, तीसरे देशों की कीमतों तथा मौजूदा व्यापार प्रवाह से संबंधित संयुक्त साक्ष्य दृढ़तापूर्वक संकेत देते हैं कि उपाय की समाप्ति से भारत को पाटित और कीमत-हासकारी स्तरों पर निर्यात बढ़ने की संभावना है।

संभावित आयात कीमतें और घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव

122. शुल्क समाप्त होने के संभावित कीमत प्रभाव की जांच शुल्क लागू रहने की स्थिति में प्रचलित कीमत स्थिति की तुलना उस स्थिति से करके की गई है जो शुल्क के अभाव में होती। वर्तमान जांच अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क को छोड़कर संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य लगभग ₹1,45,115 प्रति मीट्रिक टन था, जबकि घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति लगभग ₹*** प्रति मीट्रिक टन और बिक्री लागत लगभग ₹*** प्रति मीट्रिक टन थी। इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क के अभाव में संबद्ध आयात घरेलू बिक्री कीमत में लगभग ₹*** प्रति मीट्रिक टन की कटौती करेंगे और घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे भी प्रवेश करेंगे। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के पूर्ण कीमत प्रभाव से महत्वपूर्ण रूप से संरक्षण दे रहा है। इसके अतिरिक्त, तीसरे देशों को गुआंगडोंग फूवा के निर्यात लगातार भारत को उसके निर्यातों से कम कीमतों पर किए गए हैं। यदि शुल्क समाप्त होने के बाद ऐसे कम कीमत वाले निर्यात भारत की ओर पुनर्निर्देशित होते हैं तो कीमत में कटौती और कीमत दबाव की मात्रा और बढ़ जाएगी। इसके अलावा, असहयोगी उत्पादकों से आयातों का पहुंच मूल्य क्षतिरहित कीमत से नीचे पाया गया है। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कीमत संबंधी साक्ष्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि शुल्क समाप्त होने पर घरेलू उद्योग के महत्वपूर्ण कीमत कटौती, कीमत दमन और कीमत हास के संपर्क में आने की संभावना है।

घरेलू उद्योग की स्थिति और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना

123. प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि जिस अवधि में पाटनरोधी शुल्क लागू रहा, उस दौरान घरेलू उद्योग लाभप्रद बना रहा और उसने सकारात्मक नकद लाभ तथा प्रतिफल दर्ज किए। तथापि, ऐसे सुधार को मौजूदा उपाय के उपचारात्मक प्रभाव से अलग करके नहीं देखा जा सकता। सनसेट समीक्षा में प्रासंगिक विचार यह है कि उपाय हटाए जाने के बाद ऐसा निष्पादन कायम रहने की संभावना है या नहीं। वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग के पास अभी भी पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता है और वह कम कीमत वाले आयातों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। पाटनरोधी शुल्क के बिना संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य न केवल घरेलू बिक्री कीमत से नीचे है बल्कि घरेलू बिक्री लागत से भी नीचे है। घरेलू उद्योग की वर्तमान जांच अवधि की बिक्री कीमत और शुल्क के बिना आयातों के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर भी घरेलू उद्योग द्वारा प्रति इकाई अर्जित कर-पूर्व लाभ से अधिक है। परिणामस्वरूप, पाटित आयातों में तीव्रता के कारण आवश्यक कोई भी महत्वपूर्ण कीमत कमी घरेलू उद्योग की वर्तमान लाभप्रदता को काफी हद तक कम कर देगी और उसके समाप्त होने की संभावना है। वैकल्पिक रूप से, यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें बनाए रखने का प्रयास करता है तो उसे बिक्री मात्रा और बाजार हिस्सेदारी में कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उत्पादन और क्षमता उपयोग कम होगा। इस प्रकार घरेलू उद्योग के निष्पादन में वर्तमान सुधार मौजूदा उपचारात्मक उपाय के प्रभाव को दर्शाता है और शुल्क समाप्त होने पर क्षति की पुनरावृत्ति के प्रति उसकी संवेदनशीलता को कम नहीं करता।

पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना का समग्र आकलन

124. प्राधिकारी ने इस संबंध में संभावना संबंधी कारकों की संचयी रूप से जांच की है और नोट करता है कि मौजूदा शुल्क के बावजूद पाटन जारी रहा है; चीनी उत्पादकों के पास पर्याप्त उत्पादन और अप्रयुक्त क्षमताएं, महत्वपूर्ण निर्यात उन्मुखता तथा भारतीय बाजार तक स्थापित पहुंच बनी हुई है; गुआंगडोंग फूवा ने तीसरे देशों को भारत की तुलना में लगातार कम कीमतों पर पर्याप्त मात्रा का निर्यात किया है; और शुल्क के अभाव में संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में महत्वपूर्ण कटौती करेगा तथा उसकी बिक्री लागत से नीचे बना रहेगा। ये सभी कारक मिलकर शुल्क समाप्त होने पर चीनी उत्पादकों की भारत को पाटित निर्यात बढ़ाने की क्षमता और प्रोत्साहन दोनों को प्रदर्शित करते हैं।
125. प्राधिकारी आगे नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति चीनी निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख व्यापार-उपचारात्मक प्रतिबंध को हटा देगी और भारतीय बाजार को काफी अधिक आकर्षक बना देगी। उपलब्ध निर्यात योग्य क्षमता के एक हिस्से का मोड़ भी, विशेष रूप से तीसरे देशों के बाजारों में देखे गए कम कीमत स्तरों पर, घरेलू उद्योग पर पर्याप्त मात्रा और कीमत दबाव डालने के लिए पर्याप्त होगा।
126. तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी मानता है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने दिया जाए तो पाटन के जारी रहने अथवा तीव्र होने और क्षति की पुनरावृत्ति की प्रबल संभावना है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से नीचे की कीमतों पर बड़े हुए पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम करने, लाभप्रदता को क्षीण करने, बिक्री और बाजार हिस्सेदारी घटाने तथा उत्पादन और क्षमता उपयोग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना रखते हैं। घरेलू उद्योग का वर्तमान सुधरा हुआ निष्पादन मौजूदा उपाय के उपचारात्मक प्रभाव को दर्शाता है और शुल्क समाप्त होने पर वास्तविक क्षति की पुनरावृत्ति के प्रति उसकी संवेदनशीलता को नकारता नहीं है।

ठ भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

127. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:
 - क **जनहित और प्रयोक्ताओं पर प्रभाव:** शुल्क को जारी रखना जनहित में नहीं होगा। विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं पर पहले से मूल सीमा शुल्क लगता है। शुल्क से प्रयोक्ताओं और डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए एक्सल की लागत बढ़ती है तथा प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक स्रोतों की उपलब्धता सीमित होती है।
 - ख **संरक्षण की अवधि:** पाटनरोधी शुल्क अनिश्चितकालीन संरक्षण प्रदान करने के लिए नहीं है। घरेलू उद्योग ने इस संबंध में काफी अवधि तक इस उपाय का लाभ उठाया है और उसके निष्पादन में सुधार हुआ है।

ग **उपलब्धता और प्रतिस्पर्धा:** ट्रेलर विनिर्माताओं द्वारा मांगे जाने वाले सीमलेस एक्सल भारत में उत्पादित नहीं होते, भारतीय उत्पादक कभी-कभी खरीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं और आवेदक बाजार पर प्रभुत्व स्थापित करने की स्थिति में है।

ठ.2 घरेलू उद्योग के विचार

128. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:
- क **जनहित और प्रयोक्ताओं पर प्रभाव:** ट्रेलर की कीमत पर शुल्क का प्रभाव नगण्य है। शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता; यह केवल पाटन से उत्पन्न अनुचित कीमत लाभ को निष्प्रभावी करता है। मूल सीमा शुल्क पाटन से स्वतंत्र रूप से देय है और उसका उद्देश्य अलग है।
 - ख **संरक्षण की अवधि:** अधिनियम शुल्क को तब तक जारी रखने की अनुमति देता है जब तक संभावना की वैधानिक कसौटी पूरी होती है।
 - ग **उपलब्धता और प्रतिस्पर्धा:** भारतीय उत्पादकों के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और मांग-आपूर्ति का कोई अंतर नहीं है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा की गई जांच

129. प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धति से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने अथवा जारी रखने से संबद्ध देश से आयात किसी प्रकार प्रतिबंधित नहीं होते। शुल्क की पूरी अवधि के दौरान विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं का आयात जारी रहा है और उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं हुई है।
130. प्राधिकारी ने इस संबंध में जांच शुरुआत अधिसूचना जारी करके आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षों से विचार आमंत्रित किए तथा प्रयोक्ताओं के लिए प्रश्नावली निर्धारित की ताकि वे अपने परिचालनों पर शुल्क के संभावित प्रभाव की सूचना उपलब्ध करा सकें। विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के किसी प्रयोक्ता और किसी प्रयोक्ता संघ ने उत्तर दायर नहीं किया है अथवा शुल्क को जारी रखने का विरोध नहीं किया है।
131. प्राधिकारी एचडीटीपीएल के इस अभ्यावेदन को नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से आयात लागत बढ़ सकती है, स्रोत चयन के विकल्प सीमित हो सकते हैं और डाउनस्ट्रीम प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है। तथापि, एचडीटीपीएल ने अपने उत्पादन लागत, लाभप्रदता अथवा डाउनस्ट्रीम उत्पाद कीमतों पर शुल्क के प्रभाव का कोई परिमाणित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है; तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह अभ्यावेदन मात्रात्मक दृष्टि से अप्रमाणित बना हुआ है।

132. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में तीन विन्यासों वाले ट्रेलरों की कीमत पर शुल्क के प्रभाव का अनुमान उपलब्ध कराया है। प्राधिकारी ने इस संबंध में वर्तमान में लागू शुल्क दरों पर इसकी पुनर्गणना की है:

विवरण	इकाई	साइड वॉल ट्रेलर (3 एक्सल)	टिप ट्रेलर (2 एक्सल)	फ्लैट बेड ट्रेलर (3 एक्सल)
ट्रेलर की कीमत	₹ लाख	55.00	56.25	49.00
0.16 अमेरिकी डॉलर प्रति कि.ग्रा. शुल्क का प्रभाव	%	0.27	0.17	0.30
0.31 अमेरिकी डॉलर प्रति कि.ग्रा. शुल्क का प्रभाव	%	0.51	0.33	0.58

133. इस प्रकार डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर शुल्क का भार नगण्य है। किसी प्रयोक्ता ने इन अनुमानों का विवाद नहीं किया है और किसी हितबद्ध पक्ष ने इसके विपरीत कोई परिमाण उपलब्ध नहीं कराया है।
134. भारत में समान वस्तु के छह उत्पादक हैं, जो मिलकर भारतीय मांग की प्रमुख हिस्सेदारी की आपूर्ति करते हैं। संबंधित क्षति अवधि के दौरान अन्य भारतीय उत्पादकों ने अपनी बिक्री और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिससे यह दर्शाता है कि घरेलू बाजार में सक्रिय प्रतिस्पर्धा है। संबंधित क्षति अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं की किसी कमी का कोई साक्ष्य नहीं है।
135. मूल सीमा शुल्क के संबंध में, यह सभी आयातों पर देय है, चाहे वे पाटित हों अथवा नहीं, और कीमत तुलना तथा क्षति मार्जिन के प्रयोजन से पहुंच मूल्य में इसे ध्यान में रखा गया है। यह पाटन का समाधान नहीं करता।

ड प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियाँ

136. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों की जाँच की है। उनके प्रमुख प्रस्तुतीकरण और उन पर प्राधिकारी के निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियाँ

- घरेलू उद्योग एवं उसकी पात्रता: एचडीटीपीएल ने दावा किया है कि आवेदक, सैफ-हॉलैंड समूह तथा साझा प्रबंधन के माध्यम से चीन के उत्पादकों से संबद्ध है। अपने इस दावे के समर्थन में उसने कंपनियों की रिपोर्टों, स्वामित्व संबंधी अभिलेखों, किंगदाओ वाईटीई स्पेशल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड तथा सैफ-हॉलैंड (यांगझोउ) व्हीकल पार्ट्स कंपनी लिमिटेड से संबंधित लेन-देन और व्यापारिक अभिलेखों का उल्लेख किया है। एचडीटीपीएल ने अनुरोध किया है कि नियम

- 2(ख) के अंतर्गत आवेदक को घरेलू उद्योग से बाहर रखा जाए, इन लेन-देन का अतिरिक्त विवरण प्रकट किया जाए तथा व्हील लोडर्स मामले के निष्कर्षों पर विचार किया जाए।
- ii. **लदान-पत्र एवं व्यापारिक अभिलेख:** एचडीटीपीएल ने वर्ष 2019 के एक नौवहन दस्तावेज़ का उल्लेख किया है, जो आवेदक और किंगदाओ वाईटीई से संबंधित है। उसका दावा है कि यह दस्तावेज़ दोनों कंपनियों के बीच व्यावसायिक लेन-देन को दर्शाता है, जिसकी प्रकटीकरण विवरण में समुचित जांच नहीं की गई थी।
 - iii. **क्षति एवं संभावना:** एचडीटीपीएल ने प्रस्तुत किया है कि संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट आई है और भारतीय मांग में उनका हिस्सा बहुत कम है। उसने आगे तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, लाभ और प्रतिफल से वर्तमान में किसी वास्तविक क्षति का संकेत नहीं मिलता। नियम 5(3), रक्षोपाय संबंधी प्रावधानों तथा सोडा ऐश समीक्षा का उल्लेख करते हुए एचडीटीपीएल ने तर्क दिया है कि केवल इस आधार पर पाटनरोधी शुल्क जारी नहीं रखा जाना चाहिए कि भविष्य में आयात बढ़ सकते हैं।
 - iv. **मूल्य कटौती:** एचडीटीपीएल ने प्रकटीकरण विवरण में आयात कीमतों की घरेलू कीमतों से की गई तुलना पर प्रश्न उठाया है। उसने आवेदक तथा अन्य भारतीय उत्पादकों के कुछ चयनित बिक्री बीजकों का उल्लेख किया है और एक्सल के अनुमानित वजन के आधार पर कीमतों की गणना की है। इन गणनाओं के आधार पर एचडीटीपीएल ने दावा किया है कि आयातित वस्तुएं घरेलू वस्तुओं की तुलना में कम कीमतों पर नहीं बेची जा रही हैं, अर्थात् मूल्य कटौती ऋणात्मक है। उसने यह अनुरोध भी किया है कि न्यूनतर शुल्क सिद्धांत का पालन किया जाए, अर्थात् शुल्क पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो कम हो, उससे अधिक न हो, तथा मौजूदा शुल्क में वृद्धि न की जाए।
 - v. **असहयोगी निर्यातक:** एचडीटीपीएल ने कहा है कि चीन के दो निर्यातकों, अर्थात् शिजियाङ्गुआंग आओतोंग मशीनरी मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड तथा शानदोंग दारोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड ने अपने प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत नहीं किए। एचडीटीपीएल ने नियम 22 के अंतर्गत इन निर्यातकों के पृथक मूल्यांकन तथा प्रतिभूति के आधार पर उनके आयातों के अनंतिम निर्धारण का अनुरोध किया है। उसने यह भी अनुरोध किया है कि नियम 15 के अंतर्गत मूल्य संबंधी वचनबद्धताओं के माध्यम से इन निर्यातकों को ऐसी सहमत कीमतों पर वस्तुओं की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाए जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति न हो।
 - vi. **क्षति संबंधी जानकारी एवं कारणात्मक संबंध:** एचडीटीपीएल ने प्रश्न उठाया है कि आवेदक द्वारा दर्शाया गया लाभ केवल जांचाधीन उत्पाद से संबंधित है या उसमें उसकी अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से अर्जित लाभ भी शामिल है। उसने आवेदक की वार्षिक रिपोर्टें, उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा उत्पादन और क्षमता उपयोग के लिए दर्शाए गए समान सूचकांक आंकड़ों का उल्लेख किया है। एचडीटीपीएल ने इस दावे का भी विरोध किया है कि आयातों का घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उसने अनुरोध किया है कि मांग में परिवर्तन और अन्य भारतीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा की भी घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संभावित कारणों के रूप में जांच की जाए।

- vii. **मांगी गई राहत:** एचडीटीपीएल ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह अपने निष्कर्षों पर पुनर्विचार करे, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क वापस ले अथवा उसमें कमी करे, संबद्ध पक्षों के बीच लेन-देन का अतिरिक्त विवरण प्रकट करे तथा चीन के उक्त दो निर्यातकों के संबंध में मांगी गई राहत पर विचार करे।

ड.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियाँ

- i. **समीक्षा में लागू परीक्षण:** घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि धारा 9क(5) और नियम 23(1ख) के अंतर्गत प्राधिकारी को यह जांच करनी आवश्यक है कि मौजूदा शुल्क हटाए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है या नहीं। उसका तर्क है कि शुल्क लागू रहने की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार होने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि शुल्क हटा दिया जाना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में घरेलू उद्योग ने ऋषिरूप पॉलिमर्स तथा इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉयज के न्यायिक निर्णयों और सूर्यास्त समीक्षाओं से संबंधित विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिक रिपोर्टों का उल्लेख किया है।
- ii. **उत्पाद का दायरा:** घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि गैर-चालित ट्रेलर एक्सलों को शामिल करने वाला मौजूदा उत्पाद-दायरा अपरिवर्तित रखा जाए, जिसमें परिहार-रोधी उपाय के अंतर्गत शामिल पूर्णतः अथवा अर्ध-वियोजित (सीकेडी/एसकेडी) अवस्था के एक्सल भी सम्मिलित हैं। उसने केवल भिन्न विनिर्माण प्रक्रिया के आधार पर सीमलेस एक्सलों को उत्पाद के दायरे से बाहर किए जाने का विरोध किया है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि अलग-अलग पुर्जों के संबंध में की गई टिप्पणियों से न तो मौजूदा उत्पाद-दायरा सीमित हो और न ही किसी विशिष्ट आयात खेप का सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा किया जाने वाला निर्धारण प्रभावित हो।
- iii. **घरेलू उद्योग की पात्रता और प्रक्रिया:** घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि किसी विदेशी समूह का अंग होने मात्र से कोई उत्पादक नियम 2(ख) के अंतर्गत स्वतः अपात्र नहीं हो जाता। डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए उसने इस बात से इनकार किया है कि आवेदक ने जांचाधीन उत्पाद का आयात किया था अथवा उससे कथित रूप से संबद्ध चीनी कंपनी ने इस उत्पाद का भारत को निर्यात किया था। उसने आधिकारिक आयात आंकड़ों तथा जांच अवधि (पीओआई) के पश्चात की प्रासंगिक सूचना के उपयोग का समर्थन किया है। साथ ही, उसने पूर्व की कार्यवाहियों को समाप्त करने या पुनः खोलने के अनुरोधों का विरोध किया है।
- iv. **सामान्य मूल्य और पाटन:** घरेलू उद्योग ने अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत सामान्य मूल्य की गणना तथा आवश्यक समायोजनों के बाद सहयोगी निर्यातक के सत्यापित निर्यात मूल्य के उपयोग का समर्थन किया है। सहयोग न करने वाले निर्यातकों के लिए उसने नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के उपयोग का समर्थन किया है। उसने अन्य उत्पादकों के बीजकों तथा अलग-अलग अवधियों पर आधारित एचडीटीपीएल की मूल्य-तुलना से भी असहमति व्यक्त की

है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण में दर्शाए गए सकारात्मक पाटन मार्जिनों का भी उल्लेख किया है।

- v. **क्षति और मूल्य संबंधी प्रभाव:** घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने पर आयातित वस्तुएं घरेलू कीमतों से कम और यहां तक कि उसकी बिक्री लागत से भी कम कीमतों पर बेची जाएंगी। सकारात्मक क्षति मार्जिनों का उल्लेख करते हुए उसने तर्क दिया है कि इस प्रकार के कम कीमत वाले आयातों से उसका लाभ घटेगा अथवा उसकी बिक्री में कमी आएगी।
- vi. **संभावना का आकलन और अन्य कारकों से हुई क्षति का पृथक्करण:** घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है, क्योंकि आयात जारी हैं, चीनी उत्पादकों के पास पर्याप्त अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता है, निर्यातक विदेशी बाजारों पर निर्भर हैं और अन्य देशों को निर्यात की कीमतें कम हैं। उसने जांच अवधि के पश्चात किए गए आयातों का भी उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त, उसने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करते समय मांग में परिवर्तन और अन्य भारतीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा के प्रभावों की अलग से जांच की जाए।
- vii. **साझे व्ययों का आवंटन:** घरेलू उद्योग ने कुछ साझे कारखाना व्ययों का आवंटन उसके द्वारा अपनाई गई मूल लागत-आधारित पद्धति के बजाय बिक्री मूल्य के आधार पर किए जाने पर आपत्ति जताई है। उसने अनुरोध किया है कि इन व्ययों का आवंटन उनकी प्रकृति और समर्थनकारी अभिलेखों के आधार पर उपयुक्त तथा सुसंगत पद्धति से किया जाए।
- viii. **कार्यशील पूंजी:** घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कार्यशील पूंजी की गणना प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई लागतों के आधार पर की जाए। उसने यह भी अनुरोध किया है कि जहां सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा की गई धनराशि व्यवसाय के सामान्य संचालन के लिए आवश्यक हो, वहां ऐसी जमाराशियों को कार्यशील पूंजी की गणना में शामिल किया जाए।
- ix. **सार्वजनिक हित और मांगी गई राहत:** घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का ट्रेलरों की कीमतों पर सीमित प्रभाव पड़ता है और इससे आयात बंद नहीं होते। उसने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि मौजूदा उत्पाद-दायरे को बनाए रखा जाए, घरेलू उद्योग के रूप में उसकी पात्रता की पुष्टि की जाए तथा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति की संभावना संबंधी निष्कर्षों को बरकरार रखा जाए। तदनुसार, उसने पाटनरोधी शुल्क को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

137. प्राधिकारी ने प्रकटीकरण विवरण जारी किए जाने के पश्चात इच्छुक पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों की जांच की है। उठाए गए मुद्दों पर सत्यापित सूचना तथा पूर्व में अभिलिखित निष्कर्षों के आलोक में विचार किया गया है। प्रमुख मुद्दों पर प्राधिकारी की जांच निम्नानुसार है।

i. घरेलू उद्योग तथा संबद्ध पक्षों से कथित आयात

प्राधिकारी नोट करता है कि समान स्वामित्व अथवा प्रबंधन के आधार पर कोई घरेलू उत्पादक नियम 2(ख) के अंतर्गत स्वतः अपात्र नहीं हो जाता। एचडीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कुछ कंपनियों के बीच संबंधों को दर्शाते हैं, किंतु उनसे यह स्थापित नहीं होता कि आवेदक ने चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया था अथवा कथित संबद्ध चीनी कंपनी ने इन वस्तुओं का भारत को निर्यात किया था। प्रस्तुत पोत-लदान पत्र (बिल ऑफ लेडिंग) भारत से चीन भेजी गई एक खेप से संबंधित है, जबकि अन्य व्यापारिक अभिलेख विचाराधीन उत्पाद के आयात अथवा निर्यात को स्थापित नहीं करते। आधिकारिक आयात आंकड़े भी एचडीटीपीएल के दावों का समर्थन नहीं करते। इसके अतिरिक्त, व्हील लोडर्स मामले के तथ्य वर्तमान मामले से भिन्न हैं। तदनुसार, प्राधिकारी को नियम 2(ख) के अंतर्गत आवेदक को घरेलू उद्योग से बाहर रखने का कोई आधार नहीं मिलता।

ii. उत्पाद का दायरा तथा अलग से आयातित घटक

प्राधिकारी नोट करता है कि उत्पाद के वर्तमान दायरे में ट्रेलरों के लिए गैर-चालित एक्सल शामिल हैं, जिनमें सीकेडी/एसकेडी अवस्था तथा असंयोजित, अधूरी तरह निर्मित अथवा अपूर्ण अवस्था में एक्सल भी सम्मिलित हैं। सीमलेस और वेल्डेड एक्सल भी इस दायरे में आते हैं, बशर्ते उनकी मूलभूत विशेषताएं, कार्य और उपयोग तुलनीय हों। तथापि, बीम अथवा ट्यूब जैसे किसी एकल घटक का आयात होने मात्र से यह स्वतः नहीं माना जा सकता कि वह सीकेडी/एसकेडी अवस्था में एक्सल है। किसी विशिष्ट आयात पर पाटनरोधी शुल्क लागू होता है या नहीं, इसका निर्णय आयातित वस्तुओं की प्रकृति तथा लागू अधिसूचना के आधार पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा। तदनुसार, उत्पाद के वर्तमान दायरे में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

iii. सूर्यास्त समीक्षा पर लागू विधिक मानदंड

प्राधिकारी नोट करता है कि वर्तमान सूर्यास्त समीक्षा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(5) तथा नियम 23(1ख) द्वारा शासित है। इन प्रावधानों के अंतर्गत मुख्य प्रश्न यह है कि वर्तमान शुल्क की अवधि समाप्त होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं। अतः वर्तमान में क्षति का अभाव अथवा आयात में वृद्धि न होना, अपने आप में शुल्क वापस लेने का पर्याप्त आधार नहीं है। एचडीटीपीएल द्वारा उल्लिखित मूल जांचों तथा रक्षोपायों से संबंधित प्रावधान इस अपेक्षा को नहीं बदलते। प्राधिकारी नोट करता है कि सोडा ऐश सूर्यास्त समीक्षा का निर्णय भिन्न तथ्यों पर आधारित था। उस मामले में अधिकांश संबद्ध देशों के पाटन मार्जिन ऋणात्मक अथवा नगण्य थे, भारित औसत क्षति मार्जिन ऋणात्मक थे तथा क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना के पर्याप्त साक्ष्य स्थापित नहीं हुए थे। इसके विपरीत, वर्तमान मामले में पाटन जारी रहा है, सकारात्मक क्षति मार्जिन निर्धारित किए गए हैं तथा अतिरिक्त उपलब्ध उत्पादन क्षमता, तीसरे देशों को निर्यात की कीमतों और संभावित मूल्य प्रभावों से संबंधित उपलब्ध साक्ष्य क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना का संकेत देते हैं। तदनुसार, सोडा ऐश मामले के निष्कर्ष वर्तमान समीक्षा में निकाले गए निष्कर्षों को प्रभावित नहीं करते।

iv. आयात की प्रवृत्तियां, क्षति संबंधी आंकड़े तथा अन्य कारकों के प्रभाव का पृथक्करण

प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त आधिकारिक, लेन-देन-वार आयात आंकड़ों की जांच की है, जिनसे पता चलता है कि वर्तमान शुल्क लागू रहने के बावजूद चीन जनवादी गणराज्य से आयात जारी रहा। जांच अवधि (पीओआई) के पश्चात हुए आयातों पर भी विचार किया गया है, किंतु केवल हाल की प्रवृत्तियों के संकेतक के रूप में। उत्पादन और क्षमता उपयोग के समान सूचकांकों के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि ऐसा स्थापित उत्पादन क्षमता अपरिवर्तित रहने के कारण हुआ है और यह किसी त्रुटि का संकेत नहीं है। इसके अतिरिक्त, क्षति का आकलन विचाराधीन उत्पाद से संबंधित आंकड़ों पर आधारित है। मांग में परिवर्तन तथा अन्य भारतीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा का भी अलग से परीक्षण किया गया है, ताकि इन कारकों से होने वाली किसी भी क्षति को पाटित आयातों के कारण हुई क्षति न माना जाए।

v. मूल्य कटौती तथा चयनित बीजक

प्राधिकारी ने तुलनीय आधार पर सत्यापित घरेलू बिक्री मूल्य की तुलना पाटनरोधी शुल्क को छोड़कर आयातों के पहुंच मूल्य से करके मूल्य कटौती का निर्धारण किया है। इस तुलना से सकारात्मक मूल्य कटौती परिलक्षित होती है, जो दर्शाती है कि आयातित वस्तुओं की कीमतें घरेलू बिक्री मूल्य से कम थीं। एचडीटीपीएल की गणना, जिसमें ऋणात्मक मूल्य कटौती दर्शाई गई है, चयनित बीजकों तथा एक्सल के अनुमानित भार पर आधारित है और जांच अवधि के लिए तुलनीय भारित औसत मूल्यों का आकलन प्रस्तुत नहीं करती। तदनुसार, प्राधिकारी को प्रकटीकरण विवरण में निर्धारित मूल्य कटौती में संशोधन करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं मिलता।

vi. लाभप्रदता तथा क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना

प्राधिकारी नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्क लागू रहने की अवधि में घरेलू उद्योग का निष्पादन सकारात्मक रहा है। तथापि, जांच अवधि के दौरान पाटन जारी रहा। उपलब्ध साक्ष्यों से चीन जनवादी गणराज्य में पर्याप्त अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता, अन्य देशों को अपेक्षाकृत कम कीमतों पर निर्यात तथा भारत में चीनी निर्यातकों के लिए विद्यमान बाजार का भी पता चलता है। ये कारक संकेत देते हैं कि शुल्क समाप्त होने पर पाटित आयात बढ़ने की संभावना है। ऐसे आयात घरेलू कीमतों पर दबाव डाल सकते हैं और घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि शुल्क की अवधि समाप्त होने से पाटन के जारी रहने तथा वास्तविक क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है।

vii. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा सहयोग

प्राधिकारी ने पूर्व में अभिलिखित निष्कर्षों में स्पष्ट की गई पद्धति के अनुसार अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत सामान्य मूल्य की गणना की है। सहयोग करने वाले उत्पादक की निर्यात कीमत आवश्यक समायोजन करने के पश्चात उसकी सत्यापित सूचना के आधार पर निर्धारित की गई है। सहयोग न करने वाले उत्पादकों के लिए प्राधिकारी ने नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध सूचना का उपयोग किया है। एचडीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत बीजक अन्य उत्पादकों अथवा अलग-अलग अवधियों से संबंधित हैं और इन गणनाओं में परिवर्तन करने का उपयुक्त आधार उपलब्ध नहीं कराते। तदनुसार, पूर्व में प्रकट किए गए सकारात्मक पाटन मार्जिन यथावत रखे गए हैं।

viii. नियम 22 तथा नियम 15 के अंतर्गत अनुरोध

प्राधिकारी नोट करता है कि एचडीटीपीएल द्वारा उल्लिखित दो चीनी निर्यातकों ने वर्तमान समीक्षा में प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए। केवल यह दावा करना कि किसी निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया था, उसे नियम 22 के अंतर्गत नए निर्यातक की समीक्षा के लिए पात्र नहीं बनाता। इसके अतिरिक्त, गारंटी के विरुद्ध अस्थायी निर्धारण की अनुमति केवल नियम 22 के अंतर्गत पृथक समीक्षा में, निर्धारित शर्तों के अधीन तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश पर केंद्र सरकार की स्वीकृति से ही दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, मूल्य वचनबद्धताओं से संबंधित नियम 15, नियम 23(3) के अंतर्गत वर्तमान सूर्यास्त समीक्षा पर लागू नहीं होता। किसी भी स्थिति में, किसी विशिष्ट निर्यातक द्वारा कोई वैध मूल्य वचनबद्धता प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही उसका परीक्षण किया गया है। तदनुसार, एचडीटीपीएल द्वारा किए गए इन अनुरोधों को वर्तमान समीक्षा में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

ix. क्षति मार्जिन तथा शुल्क जारी रखना

प्राधिकारी ने सत्यापित सूचना तथा अनुबंध-III में निर्धारित पद्धति के आधार पर गैर-क्षतिकारक मूल्य और क्षति मार्जिन निर्धारित किए हैं। इन निष्कर्षों पर भविष्य में पाटन और क्षति की संभावना से संबंधित साक्ष्यों के साथ विचार किया गया है। सूर्यास्त समीक्षा में प्राधिकारी को केवल उस अवधि के क्षति मार्जिन पर निर्भर रहने के बजाय, जिसमें शुल्क लागू था, यह जांचना होता है कि शुल्क की अवधि समाप्त होने पर क्या होने की संभावना है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्राधिकारी को अलग-अलग उत्पादों पर लागू वर्तमान शुल्क दरों में परिवर्तन करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं मिलता। तदनुसार, वर्तमान दरों को जारी रखना उचित माना जाता है।

x. कारखाने के साझा व्ययों का आवंटन

प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की लागत निर्धारित करते समय कारखाने के व्ययों के आवंटन की जांच की है। उत्पाद से सीधे संबंधित व्ययों पर अलग से विचार किया गया है, जबकि साझा व्ययों का आवंटन अनुबंध-III के अनुसार युक्तिसंगत आधार पर किया गया है। आवंटन की पद्धति व्यय की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए और उपलब्ध अभिलेखों से समर्थित होनी चाहिए। घरेलू उद्योग ने यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त सत्यापित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है कि प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पद्धति के परिणामस्वरूप लागत की गणना गलत हुई है। तदनुसार, किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझी जाती।

xi. कार्यशील पूंजी तथा वैधानिक जमा राशियां

प्राधिकारी ने गैर-क्षतिकारक मूल्य के निर्धारण के लिए स्वीकार की गई लागतों तथा विचाराधीन उत्पाद से संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों के आधार पर कार्यशील पूंजी की गणना की है। सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा राशियों के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि ऐसी राशियों को केवल इस आधार पर शामिल नहीं किया जा सकता कि वे कंपनी के खातों में दर्ज हैं। उन्हें शामिल करना इस बात पर निर्भर करता है कि वे सामान्य व्यावसायिक परिचालन के लिए आवश्यक हैं या नहीं और उनका संबंध विचाराधीन उत्पाद से है या नहीं। घरेलू उद्योग ने इन राशियों को शामिल किए जाने के औचित्य के समर्थन में पर्याप्त गणनाएं और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए हैं। तदनुसार, वर्तमान गणना यथावत रखी जाती है।

xii. सार्वजनिक हित तथा शेष अनुरोध

प्राधिकारी ने ट्रेलर निर्माताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, उत्पाद की उपलब्धता तथा भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा से संबंधित चिंताओं की जांच की है। उपलब्ध साक्ष्य दर्शाते हैं कि अन्य भारतीय उत्पादक भी इस उत्पाद की आपूर्ति करते हैं तथा वर्तमान शुल्क के कारण किसी कमी का होना स्थापित नहीं होता। ट्रेलरों के अंतिम मूल्य पर शुल्क का अनुमानित प्रभाव सीमित है और किसी उपयोगकर्ता ने इसके विपरीत सत्यापित गणनाएं प्रस्तुत नहीं की हैं। इसके अतिरिक्त, मूल सीमा शुल्क का उद्देश्य अलग है और वह पाटनरोधी शुल्क का विकल्प नहीं हो सकता। वर्तमान उपाय आयातों पर प्रतिबंध भी नहीं लगाता। अतः प्राधिकारी को अपने निष्कर्षों में परिवर्तन करने अथवा शेष अनुरोधों को स्वीकार करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं मिलता, क्योंकि वे पूर्ववर्ती कार्यवाहियों अथवा वर्तमान समीक्षा के दायरे से बाहर के विषयों से संबंधित हैं। बाहर अन्य राहत देने के शेष अनुरोध वर्तमान निर्धारण में कोई परिवर्तन उचित नहीं ठहराते।

ढ निष्कर्ष

138. जाँच अभिलेख, प्रकटीकृत तथ्यों तथा उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

- (i) विचाराधीन उत्पाद और सीकेडी/एसकेडी रूप में उसका मौजूदा दायरा अपरिवर्तित है। यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड नियम 2(ख) के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के रूप में पात्र है।
- (ii) शुल्क प्रभावी रहने के बावजूद जाँच अवधि में पाटन जारी रहा। प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क को छोड़कर की गई तुलना के आधार पर सकारात्मक कीमत कटौती भी पाई है।
- (iii) मौजूदा उपाय के दौरान घरेलू उद्योग का सकारात्मक प्रदर्शन शुल्क समाप्त होने पर क्षति की संभावना को समाप्त नहीं करता। उपलब्ध क्षमता, निर्यातोन्मुखता, तीसरे देशों में कम कीमतें, जारी आयात और संभावित मूल्य प्रभाव संबंधी साक्ष्य पाटन तथा क्षति के जारी रहने या पुनः होने की संभावना स्थापित करते हैं।
- (iv) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित कर सकने वाले अन्य कारकों की भी जांच की है। प्रकटीकरण के पश्चात प्राप्त टिप्पणियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत, प्राधिकारी का मत है कि पाटन, क्षति तथा उनके जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में अपने निष्कर्षों में परिवर्तन करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि धारा 9क(5) के साथ पठित नियम 23(1ख) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए निर्धारित अपेक्षाएं पूरी होती हैं।

ण सिफारिशें

139. प्राधिकारी प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध सत्यापित साक्ष्यों के साथ-साथ सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक, लिखित तथा प्रकटीकरण के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदनों पर समुचित

विचार किया है। व्यापक जांच के आधार पर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने तथा इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की संभावना है।

140. चूंकि प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति की संभावना के आधार पर उपाय को जारी रखने की सिफारिश की है, इसलिए वह वर्तमान में लागू शुल्क की राशि का पुनर्निर्धारण करना उचित नहीं समझता। तदनुसार, प्राधिकारी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5) के साथ पठित पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 23 के अंतर्गत, चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क को नीचे दी गई शुल्क तालिका में विनिर्दिष्ट मौजूदा उत्पादक-विशिष्ट दरों तथा देशगत दायरे के अनुसार आगामी पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए बिना किसी परिवर्तन के जारी रखने की सिफारिश करता है, जब तक कि इसे इससे पूर्व निरस्त, संशोधित अथवा अधिक्रमित न कर दिया जाए। शुल्क का जारी रहना केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली संबंधित अधिसूचना के अधीन होगा।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	उद्गम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	87169010	ट्रेलरों के एक्सल*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	गुआंगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड	0.16	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
2	87169010	ट्रेलरों के एक्सल*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	क्रम सं. 1 में उल्लिखित उत्पादक से भिन्न कोई भी उत्पादक	0.31	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
3	87169010	ट्रेलरों के एक्सल*	चीन जन. गण. के अलावा कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी उत्पादक	0.31	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर

* “ट्रेलरों के लिए एक्सल” में ट्रेलरों में प्रयुक्त सभी प्रकार के गैर-चालित एक्सल शामिल हैं, चाहे वे सीमलेस अथवा वेल्डेड निर्माण के हों और चाहे वे पूर्ण रूप में अथवा सेमी नॉकड डाउन (एसकेडी)/कम्प्लीटली नॉकड डाउन (सीकेडी) अवस्था में, अर्थात् असंयोजित, अधबने या अपूर्ण रूप में हों, बशर्ते वे मौजूदा उपाय के दायरे में आते हों। ट्रेलरों के अतिरिक्त अन्य वाहनों के एक्सल, जिनमें ट्रकों और प्राइम मूवर्स में प्रयुक्त चालित एक्सल भी शामिल हैं, इस दायरे से बाहर हैं।

टिप्पणी- उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्धारित व्यक्तिगत शुल्क दरों का उपयोग सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत करने की शर्त पर होगा। उस बीजक पर उसे जारी करने वाली इकाई के किसी अधिकारी द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित घोषणा होनी चाहिए और उस अधिकारी का नाम एवं पदनाम स्पष्ट होना चाहिए। घोषणा का प्रारूप निम्नानुसार होगा:

“मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस बीजक के अंतर्गत भारत को निर्यात के लिए बेचे गए (संबंधित उत्पाद) की (मात्रा) का विनिर्माण (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा (देश का नाम) में किया गया था। मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस बीजक में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।” यदि ऐसा बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों के लिए लागू शुल्क लगाया जाएगा। यह आवश्यकता लागू सीमा-शुल्क कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करती।

त आगे की प्रक्रिया

141. इन अंतिम जाँच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण या समीक्षा के विरुद्ध सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ग के अनुसार सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 22-10-2026
16:29:02

अमिताभ कुमार
निर्दिष्ट प्राधिकारी